देश के कालेजों, विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों के हजारों शिक्षक अपनी तेरह सूत्री मांगों को लेकर संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों में अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं के नियंत्रण के लिए संसद में पेश कानून को वापस लेने, शिक्षकों को ट्रेड यूनियन अधिकार बहाल रखने, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने, समान पाठ्यक्रम चलाने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करने, उनके वेतनमान में संशोधन करने, स्कूलों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह कमीशन की नियुक्ति करने संबंधी प्रश्न शामिल हैं।

मेरा श्रम एवं शिक्षा मंत्री से अनुरोध होगा कि वे उनकी तेरह सूत्री मांगों को स्वीकार कर उनके असंतोष को दूर करें।

13.57 hrs.

Demands for Grants, 1983-84—*(Contd.)*

MINISTRY OF ACRICULTURE—*(Contd.)*

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture.

Every Hon. Member from the ruling party should not take more than ten minutes each. There is a list of 17 Members from the ruling party, and if anybody takes more time, then other Members will not get a chance. In that case, you should not blame me.

Shri Panika to continue his speech.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह बात सर्वविदित है कि कृषि मंत्रालय एक वृहत मंत्रालय है और इसके जिम्मे कृषि से संबंधित देश के सारे कार्यक्रमों को चलाने का काम सौंपा गया है। कृषि में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है परिणामस्वरूप यदि आप देखें तो पायेंगे कि जब 1950-51 में प्लानिंग की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय 508 मीट्रिक टन गल्ले का उत्पादन था लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद 1981-82 में 1331 मीट्रिक टन उत्पादन हो गया जो सर्वोच्च स्तर पर है। इसलिए मैं मंत्री जी, मंत्रालय के सचिव, उनके अन्य सहयोगियों, कृषि वैज्ञानिकों को और देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। जिनके प्रयास से यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। यही नहीं बल्कि कृषि पर जो कठिनाइयां आती रही हैं बाढ़, ओला, सूखा आदि उनका सामना करने के लिये कृषि मंत्रालय ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और राज्यों को समय-समय पर सुझाव दिये। नतीजा यह हुआ कि संकट की घड़ी में भी पिछले दिनों और इस समय भी हम सफलतापूर्वक उन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

13.59 hrs

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

मान्यवर, यह बात सही है कि इस वर्ष 1982-83 में देश के काफी हिस्से में, 15 राज्यों और एक संघीय राज्य में सूखे का भीषण प्रकोप है और लगभग 482 करोड़ हैक्टर भूमि सूखे से प्रभावित है और 53 लाख हैक्टर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। और बहुत से तटीय राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों के हिस्से तूफान से प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार 3 करोड़ सूखे से और 5 करोड़ बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं। मैं पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अधिकतम राहत के लिये 738 करोड़ रुपए दिये और यही नहीं बल्कि सहायता के अतिरिक्त और भी जो विभागों से सहायता देने की बात होती है वह भी अलग से दी। और प्रधान मंत्री

द्वारा सूखे से बचाने के लिये जो 12 सूत्री कार्यक्रम थे उनके क्रियान्वयन के लिये समय समय पर इन्होंने निर्देश दिये। लेकिन मैं मंत्री जी (श्री आरिफ) को, जो हमारे ही प्रदेश से संबंधित हैं, कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया गया। कारण जो भी हो, मैं उनमें नहीं जाना चाहता···

14.00 hrs

इतना बड़ा सूखे का प्रभाव हमारे देश में रहा है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में 28 लाख 13 हजार हैक्टर भूमि सूखे से प्रभावित हुई। जिन क्षेत्रों में फसल बोई गई थी, वहां 42 हजार हैक्टर भूमि सूखे से प्रभावित हुई। इतना विशालतम सूखे का असर रहा है और साथ ही साथ मिर्जापुर जनपद में हमारे क्षेत्र राबर्ट्सगंज में देखें तो 1 लाख 19 हजार 616 हैक्टर भूमि में सूखे का असर रहा है और 1 लाख 25 हजार 144 हैक्टर में फसल बोई गई थी, उस पर सूखे का प्रभाव रहा।

मिर्जापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे हमेशा दैवी आपादाओं का सामना करना पड़ता हैं। गत शताब्दी में 1868-69, 1873-74, 1877 78, 1896-97 में तथा वर्तमान शताब्दी में 1907-08, 1950-51, 1954-55, 1958-59 और 1971-72, 1979-80 में भयंकर सूखा पड़ा। अभी 1981-82 में जनपद के 1742 गांवों में खरीफ में सूखा पड़ गया और इसी वर्ष रबी की फसल में 3059 गांवों में ओले से भयंकर क्षति हुई। लगातार एक वर्ष के बाद उत्तरोत्तर अप्रत्याशित स्थिति रही है। यही नहीं इससे पूर्व बाढ़ का प्रकोप था।

सदर तहसील, चुनार इलाका, राबर्ट्सगंज और दूसरी तहसीलें ओलों से प्रभावित हुई।

जब सूखे की स्थिति की बात आई तो वहां की राज्य सरकार ने जुलाई में केन्द्रीय सरकार को मैमोरैंडम भेजा। मैं केन्द्रीय सरकार का आभारी हूं कि जैसे ही मैमोरैंडम यहां आया, यहां से केन्द्रीय दल वहां भेजा गया जिसने 20 से 24 सितम्बर तक वहां दौरा किया। लेकिन दौरे के बाद जब कमेटी वापिस आती है तो इसी बीच में अप्रत्याक्षित बाढ़ हमारे इलाके में आ गई। इससे मिर्जापुर के हमारे क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए। चुनार, मझवार, सीखड़, सीठी, पहाड़ी आदि विकास खण्ड गंगा के किनारे किनारे के क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए। वहां सरकार ने अपने सीमित साधनों से सहायता का काम किया। एक टीम यहां से गई थी, लेकिन जब वर्षा हुई तो केन्द्रीय सरकार ने उस टीम के बारे में सूखे की स्थिति पर विचार विमर्श किया। कृषि मंत्रालय में बैठक हुई। अभी कुछ दिन पूर्व 24 फरवरी को कृषि मंत्रालय ने टेलेक्स से सूचित किया कि आपको सहायता नहीं दी जा सकती है। इस तरह से हमारे प्रदेश के साथ लापरवाहा की गई है जहां सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित क्षेत्र है। भेदभाव पूर्ण कार्यवाही हुई।

प्रदेश सरकार ने पुनः 13-3-83 को अनुरोध किया कि इस पर फिर विचार किया जाये। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं लापरवाही की हो लेकिन क्या उसके कारण उत्तर प्रदेश के उन करोड़ों लोगों को, जिनकी हालत आज खराब हो गई है, जिनके पास काम नहीं है, राशन नहीं है जिनको पानी की दिक्कत हो रही है, उन्हें परेशानी का सामना करते रहना होगा ?

उस स्थिति से मुकाबला करने के लिये प्रदेश सरकार ने जो लगभग 165 करोड़ की सहायता विभिन्न विभागों के माध्यम से मांगी

है, अगर सरकार वह नहीं देती है तो वहां के लोगों की हालात बहुत खराब होगी। वहां लोगों के पास काम नहीं है और राशन की दुकान भी नहीं है। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20-सूत्री कार्यक्रम बनाया। सभी राज्यों ने कहा कि इसका पालन होगा। लेकिन हमारे यहां राशन की दुकान नहीं है, राहत कार्य की व्यवस्था नहीं है।

मैं अभी उस क्षेत्र से आया हूं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग काम के अभाव में परेशान हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि गृहस्थी लोग हैं, उनके पास जानवर हैं, बच्चे हैं, कहां जायें ? मंत्री महोदय हमारे प्रदेश के हैं। वह सारी कठिनाइयां जानते हैं। एक टैकनिकल गलती के कारण उत्तर प्रदेश को सहायता से वंचित करना नैतिक दृष्टि से अन्याय होगा। मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करें। अगर वह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा सूखा है, तो कोई कारण नहीं है कि दूसरे राज्यों को जो सहायता दी गई है, उसी अनुपात में उत्तर प्रदेश को भी सहायता न दी जाए। हम जनता के सामने यह नहीं कह सकते कि एक सेक्रेटरी की गलती के कारण उत्तर प्रदेश को सहायता नहीं मिली है। इस बारे में मैमोरेंडम भेजा गया है।

कृषि मंत्रालय ने मत्स्य पालन, वन लगाने और उर्वरक वितरण आदि हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस मंत्रालय की उपलब्धियों को देख कर मैं गर्वान्वित होता हूं, लेकिन जहां तक वन नीति का सम्बन्ध है, कल राज्य मंत्री ने बताया कि एक नई वन नीति घोषित होने वाली है। पिछले साल इंडियन फारेस्ट एक्ट में जो संशोधन हुआ, उसके कारण हिन्दुस्तान के सभी वन वाले प्रदेशों और क्षेत्रों में---उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश आदि में--आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, जितना अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ था। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इसकी आड़ लेकर जंगल विभाग के लोग नागरिकों के साथ मार-पीट करते हैं और उनके घरों में घुसकर उन पर अत्याचार करते हैं।

मिर्जापुर जनपद में आदिवासी और जंगल में रहने वाले अन्य लोग जिन जमीनों पर बरसों से खेती कर रहे हैं, जहां पर उनके मकान, कुएं आदि हैं, प्लान्टेशन के नाम पर उनको वहां से उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी इलाकों में पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी। लेकिन कुछ वर्षों से उसको बन्द कर दिया गया है और अब वहां बंदोबस्त की कार्यवाही हो रही है। लेकिन जंगल विभाग इतने अत्याचार पर उतारू हो गया है कि यदि मंत्री महोदय ने इस बारे में उचित संरक्षण नहीं दिया और इस बारे में प्रदेश सरकारों को निर्देश नहीं दिया, तो आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के आदिवासी इलाकों में उग्रवादी तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। वे लोग जनता को यह कह कर उकसा रहे हैं कि यह सरकार तुम्हारे पुराने हक हुकूक और राइटस एण्ड कन्सेशन्ज को छीन रही है। अगर उन हुकूक को बढ़ाया न जाए, तो कम से कम जो हक हुकूक मिले हुए हैं, उन्हें कम तो न किया जाए। इकालौजी के नाम पर नए जंगल लगाए जाएं, लेकिन वर्षों से लोग जिन जमीनों पर बैठे हुए हैं, उन्हें उनसे अलग नहीं करना चाहिए।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि नई वन नीति की घोषणा करने से पहले वह उन संसद्-सदस्यों की बात एक बार अवश्य सुन लें,

जिनके क्षेत्रों में वन हैं। केवल सरकारी सूचनाओं के आधार पर नीति बनाने से काम नही चलने वाला है।

यह मंत्रालय केवल कृषि का नहीं है, बल्कि ट्राइवल्ज़ और शिड्यूल्ड कास्ट्स के विकास का उत्तरदायित्व भी इस पर है। बहुत प्रयास करने के वावजूद सब ट्राइवल प्लान्ज़ और काम्पोनेंट प्लान्ज में 50 परसेंट टारगेट भी अचीव नहीं हो पाए हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के जो सूत्र इस मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं, उनकी उपलब्धि 50 प्रतिशत भी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि किसानों और छोटे लोगों के विकास में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसे दूर किया जाए। इसमें बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। बैंकों और राज्य सरकारों की एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई इसका उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि यह बैंकों की रेसपांसिबिलिटी है और बैंक कहते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रेसपांसिबिलिटी है।

लेकिन दोनों के झगड़े में हमारे विकास कार्यक्रमों में तथा 15 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सफलता नहीं मिली है। इसी तरह से गत वित्तीय वर्ष में 24 लाख शेड्यूल्ड कास्ट और 13 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सहायता देने की बात थी लेकिन यदि आप दिसम्बर तक के आंकड़े देखें तो उसमें आधा टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस सेक्टर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक बारानी खेती की बात है, सिंचाई के लिए इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद लाखों हेक्टेयर भूमि में ड्राइ फार्मिंग करने के सम्बन्ध में जो टारगेट था उसको भी हम अचीव नही कर पाए हैं लेकिन उसमें उत्तरोत्तर प्रगति जरूर हुई है। 42 प्रतिशत उत्पादन ऐसे क्षेत्रों से ही होता है। तिलहन आदि की महत्वपूर्ण फसलें उन क्षेत्रों से ही आती हैं। (व्यवधान) अब मैं केवल सुझाव ही देना चाहूंगा।

हमारे देश में कोयला, लोहा, बिजली ट्रांसपोर्ट आदि की जो कि सेक्टर अथवा बेसिक इण्डस्ट्रीज़ हैं उनके बाद आपको दूसरा स्थान कृषि का ही देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर विभाग का सम्बन्ध फर्टिलाइजर से भी हैं। इसलिए जब तक सारे विभाग एक जगह बैठकर खेती के विस्तार के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक खेती का विस्तार सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त कृषि मूल्य नीति के बारे में भी आपको विचार करना होगा। कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा उद्योग-धंधों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में सन्तुलन स्थापित करना आवश्यक है। एक फैक्टरी वाला जितना लाभ लेकर अपना माल बेचता है, किसान वैसा नहीं कर सकता है। कृषि मूल्य आयोग को इस पर विचार करना होगा। हम भी किसान हैं, हम जानते हैं कि किस अनुपात में खाद, बिजली, डीजल तथा अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं और उनको देखते हुए कृषि उत्पादों के दाम उचित नहीं हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से सरकार को कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों में सन्तुलन लाने की बात सोचनी होगी।

इसी प्रकार से आज गाँवों में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जो आपका टारगेट है वह कभी पूरा नहीं होता है। इसके अलावा आई० आर० डी० पी० के सम्बन्ध में में पहले भी कह चुका हूं कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : उसका संबंध रूरल डेवलपमेंट से है।

श्री राम प्यारे पनिका : रूरल डेवलपमेंट से सम्बन्ध तो है लेकिन मैं चाहता हूं कि इन चीजों पर अधिक जोर दिया जाए।

मैं माननीय मन्त्री जी तथा इस मंत्रालय के अन्य लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की है। मुझे आशा है कि मेरे सुझावों पर ध्यान देते हुए हमारे हितों की पूरी रक्षा माननीय मन्त्री जी करेंगे।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं हमारे सामने प्रश्न यह है कि देश की प्रगति कैसे हो, किस तरह से राष्ट्रीय आय बढ़े, किस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़े, खाद्यान्न का आयात न करना पड़े, खाद्यान्न बढ़ाने का वातावरण बने, विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, गरीबी अमीरी की विषमता कम हो, चोरी-डकैती कम हों, देश में बेरोजगारी न रहे तथा रक्षा की दृष्टि से भी हम शक्तिशाली बनें। तब हम समझते हैं कि देश की तरक्की होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश की तरक्की के लिए हमें किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। देश की प्रगति के लिए हम कारखानों को बढ़ायें, उद्योग-धन्धों को बढ़ाये या कृषि को बढ़ायें। मैं यह कहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा कृषि से आता है। हम जितना उत्पादन बढ़ाकर कृषि में तरक्की कर सकते हैं, उतना उत्पादन बढ़ाकर हम कारखानों में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसके हमारे सामने प्रमाण हैं, अगर हम कारखानों में तरक्की करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, तो दो-तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा पायेंगे। इसके साथ-साथ एक समस्या यह भी होगी कि हमें कारखानों को खोलना पड़ेगा और उसके लिए मैटीरियल का इन्तजाम करना पड़ेगा। विदेशों से उसके लिए मशीनें मंगानी पड़ेंगी और शिक्षित आदमियों को रखना पड़ेगा। इतना सब होने के बावजूद भी हमारा उत्पादन उस स्तर का नहीं हो सकता है, जिस स्तर का अमरीका का है, जापान का है, रूस का है और यूरोप का है। इसलिए हम अगर कृषि उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो हम कृषि उत्पादन में आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर देश की तरक्की कर सकते हैं।

मैं कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में गेहूं का उत्पादन एक वर्ष में 30 प्रतिशत बढ़ा है। खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी एक वर्ष के अन्दर 29 प्रतिशत की हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस अनुपात में उत्पादन कारखानों में बढ़ा सकते हैं। कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए हम उतनी प्रगति नहीं कर सकते हैं, जितनी कृषि में कर सकते हैं। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारी प्रगति है, वह संतोष जनक नहीं है। 1950-51 में उत्पादन 5 करोड़ 8 लाख टन हुआ था, 1978-79 में 13 करोड़ 19 लाख टन हो गया। ढ़ाई गुना उत्पादन बढ़ गया इसके साथ-साथ 1980-81 में 12 करोड़ 96 लाख टन रहा और 1981-82 में 13 करोड़ 31 लाख टन रहा। हमारा उत्पादन का अनुपात बढ़ा है। 1967-68 से 1981-82 तक 2.48 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। हम केवल दो तीन प्रतिशत ही उत्पादन बढ़ाते हैं, इससे हमारी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ सकती है। आप देखें कि पंजाब में प्रति एकड़ जितना उत्पादन होता है, उसका 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में

होता है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जहां 33 प्रतिशत होता है और कुछ ऐसे भी होंगे जहां 10 से 15 प्रतिशत होता होगा। यदि पंजाब के स्तर के साधन किसानों को उपलब्ध कराए जायें, तो वे भी उतना ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उतना नहीं तो दुगुना या ड्योढ़ा तो कर ही सकते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं अब सरकार का ध्यान अमरीका की एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसको श्री जिम्मी कार्टर ने तैयार करवाई थी, जो गिलोबल दो हजार के नाम से रिपोर्ट तैयार थी। उसमें बताया गया है कि दो हजार सन् तक गेहूं नौ रुपए किलो बिकेगा।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : Mr. Chairman, I am on a point of order. When the Demands for Grants of any Ministry are being discussed it is expected that the senior Cabinet Minister will be present here. May be for some time he may go out. Yesterday and today, though the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, an important Ministry, were being discussed, I find that the senior Cabinet Minister has not been present for quite some time. Through you, Mr. Chairman, I want to make an appeal that the senior Cabinet Minister should be present, so that he can listen to the many suggestions that are being made by Hon. Members.

MR. CHAIRMAN : I am sure it is being taken note of.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I am taking note of all the suggestions being made. I will pass on these suggestions to my senior colleague.

MR. CHAIRMAN : It is better that the senior Minister is present.

श्री दिगम्बर सिंह : उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं, उनको कम-से कम 50 मिलियन टन आयात करना पड़ेगा खाद्यान्न का। उस रिपोर्ट को हमारे एक वैज्ञानिक हैं, श्री एस. के. सिन्हा जो एग्री-कल्चर के साइन्टिस्ट हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट को चैलेन्ज किया है और कहा है कि हमारे भारत वर्ष में यदि कृषि को प्राथमिकता दी जाय तो यह बहुत आगे बढ़ सकती है उन्होंने आंकड़े देते हुए बतलाया है कि अमरीका में जो एक टन गेहूं पैदा किया जाता है उस पर 102 लिटर डीजल खर्च होता है, जब कि हमारे यहां उतने उत्पादन पर 21 लिटर डीजल खर्च होता है। वह कहते हैं कि कुछ समय बाद कार्मशियल एनर्जी अमरीका तथा अन्य विकसित देशों में ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, उसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि भविष्य में पेट्रोल, कोयला, आदि वस्तुयें कम होगी। लेकिन यहां स्थिति भिन्न है, यहां कार्मशियल एनर्जी का ज्यादा उपयोग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बैल हैं, आदमी खुद काम करता है, कम्पोस्ट खाद है, ये चीजें यहां ज्यादा उपलब्ध होंगी। उनका कहना है कि अमरीका जैसे देशों के मुकाबले हम सस्ता गेहूं पैदा कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—यदि हम कृषि पर अधिक ध्यान दें तो यही नहीं कि हमें विदेशों से नहीं मंगाना पड़ेगा, बल्कि उनको निर्यात भी कर सकेंगे तथा मंहगाई भी नहीं बढ़ेगी।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का साधन भी यही है। मैं एक मिशाल देना चाहता हूं—लोक सभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है। कि राष्ट्रीय आय उन प्रदेशों की ज्यादा बढ़ जाती है जहां खेती होती है। आप देखिये—हमारे देश में जहां 1978-79 में 464 अरब 46 करोड़ की राष्ट्रीय आय थी, वह 1979-80 में घटकर

438 अरब 80 करोड़ रह गई। लेकिन यदि हम प्रदेशों में देखें कि कहां-कहां घटी, तो आप पायेंगे कि बिहार में घटी, उत्तर प्रदेश में घटी, लेकिन पंजाब में नहीं घटी। पंजाब की राष्ट्रीय आय 1978-79 में 21 अरब 95 करोड़ 50 लाख थी, लेकिन दूसरे साल वह बढ़कर 22 अरब 7 करोड़ 10 लाख हो गई। पंजाब ने अपनी आय कैसे बढ़ा ली ? इसलिये कि वहां कृषि होती है, लेकिन बिहार में वह गिर गई क्योंकि वहां कारखाने ज्यादा हैं।

आप देखिये – प्रति व्यक्ति आय को जहां तक बढ़ाने का सवाल है—वह कैसे बढ़ सकती है ? मेरे पास आंकड़े हैं– जिस प्रदेश में कारखाने ज्यादा हैं, जैसे बिहार में, वहां 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय 773 रुपये थी, लेकिन उसके मुकाबले पंजाब में 2351 रुपये थी, हरियाणा में 1895 रूपये थी। लेकिन 1980-81 में वह बिहार में बढ़कर 870 रूपये हुई, यानी केवल 97 रुपये बढ़े, लेकिन हरियाणा में 2335 रुपये हो गई यानि 560 रूपये बढ़े। इससे साबित होता है कि कृषि के ज़रिये राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है—यदि आप प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि कृषि उत्पादन बढ़ाइये। यदि आप विदेशों से गेहूं के आयात को रोकना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि आप देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाइये। मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं एक किसान बैंक से कर्जा लेने जाता है और कहता है कि मेरे यहां टैनिस फील्ड बना हुआ है, क्रिकेट और दूसरे खेलों के लिये बहुत बढ़िया मैदान है, मेरा लड़का क्रिकेट खेलना जानता है, क्या बैंक उस को कर्जा देगा या उस किसान को देगा जिसके यहां ट्यूब वैल है, बिजली है, खेती सम्बन्धित दूसरे साधन हैं ? हमारे देश की प्रतीष्ठा एशियाड जैसे बड़े-बड़े खेलों के साधन बनाने से या नान-एलाइण्ड मूवमेन्ट जैसे सम्मेलन करने से नहीं बढ़ेगी। कोई विदेशी यदि हमारी प्रतीष्ठा को देखेगा तो हमारे उत्पादन से देखेगा। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों से ज्यादा आवश्यक है उत्पादन का बढ़ाया जाना, जिससे देश से गरीबी दूर हो।

अब मैं गरीबी और अमीरी का मेल आपके सामने रखना चाहता हूं। राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि कारखानों से गरीबी और अमीरी में कितना अन्तर पड़ जाता है, खेती से इतना अन्तर नहीं होता है। कारखानों से क्या हुआ ? सन् 1979 में हमारे टाटा और बिरला की जो सम्पत्ति 13 अरब 7 करोड़ रुपये थी और एक वर्ष से बढ़ कर वह कितनी हो गई। टाटा की हो गई 15 अरब 38 करोड़ रूपये और बिरला की हो गई 14 अरब 32 करोड़ रुपये। एक बर्ष में इतनी बढ़ गई। फिर 1981 के आंकड़े सुनिये। वही सम्पत्ति बढ़कर टाटा की हो गई 18 अरब 40 करोड़ रुपये और बिरला साहब की हो गई 16 अरब 91 करोड़ रुपये। कितनी अधिक एक वर्ष में बढ़ कर हो गई। अब एक भारतवासी का अगर औसत लगाया जाए तो 1 करोड़ 55 लाख आदमियों की जितनी सम्पत्ति है, उतनी सम्पत्ति टाटा-बिरला एक परिवार की है। यह 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 55 लाख गुना का अन्तर है। खेती में आप देखिये कि एक किसान जिस के पास 10 एकड़, 15 एकड़ या 20 एकड़ जमीन है, उसकी कितनी तरक्की होती है। उसकी तरक्की होती है, तो मजदूर की भी होती है और एक मजदूर के अगर 4 लड़के हैं, चार लड़कों की पत्नियां हैं और उसकी अपनी एक पत्नी है, तो घर में 10 आदमी हुए। आज हालत यह है कि जहाँ खेती अच्छी है, तो मजदूर को 10 रुपये से कम नहीं

मिलता यानी उस मजदूर की 100 रुपये रोज की आमदनी हो गई जबकि एक अच्छे किसान की इतनी इन्कम नहीं होती है, एक बड़े किसान की भी इतनी इन्कम नहीं होती है। मेरे यहाँ खेती होती है और खेती के अलावा कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों से विषमता नहीं बढ़ती है, विषमता वहीं बढ़ती है, जहां कारखाने होते हैं।

बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, तो बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय। आप पंजाब के किसी आदमी को मजदूरी करते हुए नहीं देखेंगे। मैं कश्मीर गया, असम गया, साऊथ में गया और बम्बई गया, तो वहां पर बिहार के आदमी ही दिखाई देते हैं, उड़ीसा के आदमी दिखाई देते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आदमी दिखाई देते हैं लेकिन हरियाणा और पंजाब का कोई आदमी नहीं दिखाई देता जोकि मजदूरी करता हो। क्यों नहीं दिखाई देता? वहां पर कृषि उत्पादन बहुत अच्छा है। तो बेकारी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, वह यह है कि खेती का उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे बेकारी दूर होगी और साथ ही साथ जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, तो आयात में जो इतना रूपया लगता है, वह बच जाएगा और उसको आप रक्षा साधनों में खर्च कर सकते हैं जोकि हमारे देश की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें रुपया चाहिए लेकिन रुपया कारखाने बढ़ा नहीं सकते, कृषि ही बढ़ा सकती है। कृषि बढ़ने से आयात कम होगा। जब आयात कम होगा तो वह बचा हुआ रुपया रक्षा के कार्यों में लग सकता है और उससे देश को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यह सवाल उठता है। इसका तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं।

एक बात मैं बेरोजगारी के बारे में बीच में ही छोड़ गया था। हमारे यहां के स्वामीनाथन जो हैं, उनको लन्दन में एक वर्ल्ड प्राइज मिला है और उन्होंने यह कहा है कि अगर तुम्हें बेकारी दूर करनी है, तो कृषि का उत्पादन बढ़ाओ और बेकारी बढ़ानी है, तो बाहर से खाद्यान्न का आयात कराओ। खाद्यान्न के आयात से बेकारी बढ़ती है और उसके उत्पादन को बढ़ाने से बेकारी दूर होती है, यह स्वामीनाथन जी, जो एक विशेषज्ञ हैं, ने कहा है।

मैं यह कह रहा था कि कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े। उत्पादन बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसके मूल्यों को बढ़ाओ। मूल्य बढ़ जाते हैं, तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता कि 15 अप्रैल 1955 को इसी लोक सभा में खड़े होकर मैंने यह बात कही थी ओर आज फिर इसको दोहराता हूं। मैंने यह कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में 50 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो गेहूं की कीमत गिर गई और उससे 80 करोड़ रुपये की हानि उत्तर प्रदेश के किसानों को हुई। मैंने फिर लोक सभा में 9 अप्रैल, 1956 को यही बात कही थी कि हमारे देश में 553 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ है और उससे जो कीमत गिरी थी, उस कीमत के गिरने से साढ़े 7 अरब रुपये का नुकसान किसानों को हुआ था। ये साढ़े 7 अरब रुपया किसानों को मिलता, तो उत्पादन बढ़ जाता। जो मैंने 30 अप्रैल, 1965 को लोक सभा में कहा था वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं —

"उत्पादन केवल उन्हीं चीजों का बढ़ता है जिनका मूल्य बढ़ जाता है। 1962 में चावल का मूल्य 3 इंडैक्स 101 से बढ़कर 114 हो गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि चावल

का उत्पादन बढ़ करके 319 लाख टन से 365 लाख टन हो गया।

यह सन् 1965 की बात हैं। अब की बात नहीं हैं। चावल का मूल्य इन्डैक्स बढ़ करके 101 से 114 हुआ तो उत्पादन बढ़कर के 319 लाख टन से 365 लाख टन हो गया। उसी वक्त गेहूं का मूल्य इन्डेक्स गिर गया। गेहूं का उत्पादन एक टन से घट करके 97 लाख टन रह गया। उत्पादन एक ही बर्ष मे एक का बढ़ा और दूसरे का घटा। अब दूसरे साल की बात आप देखें। "1964 में गेहूं का इन्डैक्स मूल्य 112 से बढ़कर 145 हो गया, उसी अनुपात से मुझे यह दिखाई देता है कि उत्पादन बढ़ जाएगा।" उस समय मैंने कहा था आज यह बात मैं लोक सभा में कह रहा हूं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ज्योतिषी नहीं हूं। यह मैंने उस वक्त कहा था कि गेहूं का इन्डैस बढ़ गया है, 112 से 145 हो गया है, इसलिए उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। यह आंकड़े मैं उस लोक सभा के भाषण के बाद के बता रहा हूं। उस वर्ष 1965 में उत्पादन 97 लाख टन से बढ़कर 122 लाख टन हो गया। यह भविष्यवाणी को बात नहीं हैं। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने का एक ही तरीका हे कि मूल्य वृद्धि हो।

मंत्री जी कहते हैं कि भाव विशेषज्ञ तय करते हैं, क्या भाव विशेषज्ञों की राय से तय करते हैं। एक रिपोर्ट से मैं आपको बताना चाहता हूं। यह कानपुर की एग्रीकल्चर आजाद यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हे। इसके विशेषज्ञों की एक कमेटी बनी थी। उसमें डा० ओमप्रकाश और डा० रामनारायण सिंह थे। उन विशेषज्ञों ने जांच की और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को मैं मंत्री जी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में से मैं केवल एक बात उत्पादन पर क्या खर्चा आता है, जोकि विशेषज्ञों ने बताया है वह मैं बताता हूं। उन्होंने बताया है कि गेहूं के उत्पादन पर एक क्विंटल पर 211 रुपये खर्च होते हैं जौ पर 199 रुपये खर्च होते हैं, धान पर 295 रुपये खर्च होते हैं, आलू पर 62.63 रुपये, गन्ने पर 36.48 रुपये खर्च होते हैं। इसी तरह से उड़द और मूंग के खर्च भी उन्होंने बतायें है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस चीज के भाव बढ़ते हैं, उसी चीज का उत्पादन बढ़ता है। लागत से मूल्य कितने कम तय किये है। गेहूं का मूल्य केवल 151 रुपये।

सभापति महोदय, यह जो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि एक वर्ष में धान के भाव बढ़े 28 प्रतिशत, चने के 62 प्रतिशत, मूंगफली के 55.3 प्रतिशत, सोयाबीन के 40 प्रतिशत और गेहूं के मूल्य में सबसे कम वृद्धि 23.5 प्रतिशत की हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि किस-किस का कितना-कितना उत्पादन हुआ। उन आंकड़ों को आप देख लें। यानी तिलहन का उत्पादन बढ़ा 29 प्रतिशत। खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ आप देख लें कि तिलहन का उत्पादन इतना क्यों बढ़ गया। वह इसलिए 29 प्रतिशत बढ़ गया कि तिलहन का मूल्य बढ़ गया। वह निर्विवाद बात है कि उत्पादन बढ़ाने का सबसे है कि बढ़िया तरीका एक ही है कि मूल्य, बढ़ा दो।

इस बात को मंत्री जी भी जानते हैं, इनके परिवार वाले भी जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं और सभी जानते हैं। उत्पादन तभी बढ़ता है जब कि उसका मूल्य बढ़ता है। इसलिए मूल्य बढ़ाना उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है।

मैं जानता हूं कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको कि हल करने में कुछ

मजबूरियां होती हैं। मंत्री जी भी वही करना चाहते हैं जो मैं बता रहा हूं। लेकिन मंत्री जी की मजबूरी यह है कि वे गद्दी पर, कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठकर अपने साथियों का ध्यान रखना पड़ता है। कुर्सी की एक मिसाल देना चाहता हूं। श्री रामचन्द्र जी ने धोबी के कहने से सीता जी को बनवास दे दिया। वे कह सकते थे कि सीता निर्दोष है, मैं इसको बनवास नहीं दे सकता, कुर्सी छोड़ता हूं। गुरु वशिष्ठ जी भी पास में कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने भी यह नहीं कहा कि रामचन्द्र जी आप क्या कर रहे हैं? आप निर्दोष सीता को बनवास भेज रहे हैं। लेकिन कुर्सी के कारण उन्होंने भी नहीं कहा। एक और द्वापर का उदाहरण है। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, लेकिन द्रोपदी का चीर-हरण होता रहा। कुछ नहीं बोल पाए। क्योंकि दुर्योधन की कुर्सी पर बैठे थे उनमें से एक सब कौरवों को मार सकता था।

मुझे एक और उदाहरण याद है। राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी दिल्ली में थे। ए.आई.सी.सी. की मीटिंग हो रही थी। मैं भी ए.आई.सी.सी. का मेंबर था। पाकिस्तान बने या न बने, इस बारे में ब्रिटिश सरकार की योजना मानी जाए या नहीं, इस पर विचार हो रहा था। महात्मा गांधी जिन्होंने एक बार कहा था कि मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा चाहे मेरे टुकड़े हो जाएं, लेकिन उन्होंने वहां पर कहा कि तुम्हारे नेताओं ने जो फैसला कर दिया है, उसको मान लो। कुर्सी पर बैठने वाले नेताओं की वजह से उनको यह बात कहनी पड़ी। यह हमने आंखों से देखा और कानों से सुना है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं इस संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं। गांधी जी ने यह भी कहा था कि इस नेतृत्व को उखाड़ फेंको, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।

श्री दिगम्बर सिंह : जयप्रकाश जी पर भी इसका असर पड़ा। जय प्रकाश जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बैठक में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा है कि तटस्थ हो जाओ। राम मनोहर लोहिया और अन्य सोशलिस्ट लोगों ने निगाह नीची कर ली। आंखों में आंसू थे, लेकिन भारत के टुकड़े होने का विरोध नहीं कर पाए क्योंकि इनके नेता कुर्सी पर बैठे हुए थे।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रतिष्ठा कुर्सी से नहीं होती। किसानों को उचित कीमत देने के लिए कुर्सी को त्याग दें। गांव-गांव में किसान कहेगा कि किसानों के हित के लिए राव बीरेन्द्र सिंह ने ऐसा किया है। राव साहब के बारे में कहा जाता था कि "आया राव-आया भाव, गया राव-गया भाव"। उस प्रतिष्ठा को बनाए रखिए। आपकी पूजा होगी।

आप कहते हैं कि देश में प्रजातंत्र है। आप इस संबंध में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के भाषण पढ़ लें। किसी ने यह नहीं कहा कि गेहूं की कीमत ठीक दी गई है। अगर प्रजातंत्र है तो इंदिराजी कह दें कि गेहूं की कीमत पार्लियामेंट तय कर ले। स्वतंत्र वोटिंग होने दें। गेहूं की कीमत कम होने से उत्पादन गिरेगा हमें आयात करना पड़ेगा। पिछले साल 25 लाख टन किया, इस वर्ष 40 लाख टन हुआ और 60 लाख टन आयात अगले वर्ष करना पड़ सकता है। उत्पादन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि मूल्य उचित दिया जाए।

राजा महेन्द्र प्रताप अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए लिखे अपने लेख में सरदार पृथ्वी सिंह आजाद ने लिखा है —

"सजदा करने से अगर मिलती है वहिश्त,
बेहतर है वह दोजख जहां सिर न झुकाना पड़े।"

विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टाइन कहता है —

I quote :

> "Dr, Einstein has said that if he had his life over again, he would not try to become a scientist, a scholar or a teacher. He said, 'I would rather choose to be a plumber or a peddler in the hope of finding that modest degree of independence still available under present circumstances."

आजाद रहकर भी सच्ची बात कहना अधिक अच्छा होता है ।

राव साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसी बात को कहें, जिसको कहते रहे हो । उसी से देश और जनता का हित होगा । आज हमारे देश में मानसिंह को कोई नहीं पूजता सिर्फ महाराणा प्रताप की पूजा होती है । आप किसी भी किसान से पूछ लें, जवाब नहीं मिलेगा कि गेहूं का भाव बढ़ा दो तभी उत्पादन बढ़ेगा ।

को-आपरेटिव मूवमेंट की हालत खराब हो गई है । पहले अच्छी थी । 7 अप्रैल 1964 को मैंने जो संसद में कहा था, वह आपको बताना चाहता हूं । "हमारा जिला सहकारी बैंक एक करोड़ 60 लाख रुपए बांट रहा है और वसूल भी किया जाता है । अगर उस ऋण के बांटने में बैंक के किसी एक कर्मचारी ने एक पैसा रिश्वत लिया हो, यह प्रमाणित हो जाए तो मैं लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता हूं ।" मैंने आगे फिर कहा था,"उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा में एक सहकारी किसान निवास के नाम से भवन बनाया जा रहा है, उसमें लाखों रुपया खर्च होगा । मैं यहां पर इस बात के लिए घोषणा करता हूं कि वहां यदि एक सेर सीमेंट या एक नये पैसे का गबन हुआ हो, यह कोई साबित कर दे, तो मैं उसको एक हजार रुपया इनाम दे सकता हूं ।" इसके बाद मैंने कहा था "अंत में निवेदन करना चाहता हूं, सर्वाधिक जनप्रिया सर्वाधिक पूंजीवाद विरोधी, सर्वाधिक समाजवाद की ओर ले जाने वाला, सर्वाधिक जन-सम्पर्क कायम करने वाला अगर कोई विभाग है तो वह सहकारिता विभाग है । अगर कोई विभाग जनता को शान्ति देने वाला, जातीयता और साम्प्रदायिकता को मिटाने वाला, साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद, सर्वोदय और प्रजातंत्र का निचोड़ है तो वह सहकारिता है । सहकारिता विषमता को काटने वाली तलवार और शोषण से बचाने वाली ढाल है ।" आज इसका उलटा है । उत्तर प्रदेश के एक मंत्री श्री वासुदेव सिंह अलीगढ़ की सभा में क्या कहते हैं, यह भी आपको बताता चाहता हूं । जब उन्होंने पूंजीवाद के विकल्प के रूप में सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहा तो उनसे यह कहकर सहकारिता विभाग ले लिया गया कि उनके पास काम ज्यादा था और इसीलिए उन्हें हलका कर दिया गया ।" श्री सिंह कांग्रेस आई के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर स्वयं-सेवकों को सम्बोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा "जब मेरे द्वारा पूंजीवाद पर चोट की गई तो पूंजीपति तिलमिला गए और मुझे सहकारिता विभाग से हटना पड़ा, इसका यह अर्थ क्यों नहीं लिया जाए कि मंत्रीगण भी पूंजीपति के हाथों बिके हुए हैं ।" वे आगे कहते हैं, "खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने कहा कि, मेरा स्पष्ट मत है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था स्पष्ट करनी है तो सहकारिता को प्रोत्साहन देना होगा । उन्होंने कहा कि आज चरित्र की स्थित यह है कि एक बार मंत्री कहता है, अमुक अधिकारी का ट्रान्सफर कर दो और ट्रान्सफर

हो जाने पर वही कहता है "ट्रान्सफर रोक दो।" इसका सीधा अर्थ है, "सौदा पट चुका है।" यह उन्होंने अलीगढ़ की सभा में कहा जो अमर उजाला में निकला था।

माननीय कृषि मंत्री जी ने 22 दिसम्बर 1981 को जो सलाहकार समिति में कहा, वह आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में समितियों के चुनाव नहीं हुए तो माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं, "अध्यक्ष महोदय ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से उन समितियों में जिनमें चुनाव नहीं हुए हैं, के बारे में राज्य सरकार से जानकारी एकत्र करने और उसे अभी परामर्शदात्री समिति में पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा, राज्य की उन सहकारी समितियों में जिनके चुनाव नहीं हुए है, को दिए जाने वाले अनुदान को रोकने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए।" किन्तु 1981 के बाद आज तक चुनाव नहीं हुए। मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अनुदान को रोक नहीं सके। लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के बारे में मैंने कहा था कि इसमें संशोधन कर दो, पता नहीं आपके पास यह विभाग रहे या न रहे, और वही हुआ। वह विभाग उनसे वापिस ले लिया गया। अधिकारियों द्वारा एक बिल अमेंडमेंट के लिए बनाया गया था, उसको मंत्री जी ने और स्पीकर साहब ने भी माना कि खराब है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मंत्री जी कोई ऐसा काम करें जिससे इतिहास उन्हें याद करे। लोग कहेंगे कि मंत्री जी किसानों के लिए कुछ त्याग करके गये हैं। आज गांधी जी नहीं हैं, फिर भी उन्हें याद करके उनके ऊपर फिल्म बनायी गई है जो दुनिया में देखी जा रही है। टाटा-बिरला की फिल्म बना दी जाए तो कोई नहीं देखेगा।

महात्मा गांधी की फिल्म लोग कहते हैं। आजबिड़ला, टाटा की फिल्म बना दी कोई नहीं देखेगा। कुर्सी पर बैठने वाले नेता की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे लोग देखें। देश इस बात के लिये राव साहब को दोषी बतायेगा कि गेहूं की उत्पादन लागत 211 रु० होने पर भी उन्होंने गेहूं का भाव 151 रु० प्रति क्विंटल ही रखा है। उन्हें ज्यादा भाव के लिये लड़ना चाहिये था। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मेरा निवेदन है कि गेहूं का भाव बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। यही मेरा कहना है।

SHRI NITYANANDA MISRA (Bolangir): Mr. Chairman, Sir, there has been a persistent criticism that we have not been able to achieve substantial progress in the field of agriculture. I do not agree with this view and I feel that there is no substance in that criticism.

Sir, it is extremely difficult to make an objective assessment of the progress we have made in a drought year. Drought is a very dominating factor that influences our agricultural production to such a great extent and that damages the prospects of good harvest to such a high degree that in a drought year, though there is progress, it appears as if we have made no progress. If we can correctly assess the shortfalls is the agricultural production which can be attributed to drought or flood or any other natural calamities, then only we can say to what extent the progress has been made in the field of agriculture.

I would like to place certain factors which will make this point clear and obvious. We faced the drought condition in the year 1979-80 and this year also, during the Kharif season we faced the drought. This year's drought was more severe, more intensive, more widespread—had an extensive coverage of wider area—than the drought that we witnessed in the year 1979-80. Again, we remember that in the years 1965, 1966 and 1967, we faced the drought conditions and we were compelled to import 26 million tonnes of foodgrains to feed our people—though at that time, some 20 years back, there were less number

of mouths to be fed. This conclusively proves that drought is having less and less of influence on agricultural production and it is because of the fact that our Ministry has formulated and implemented with certain amount of sincerity and vigour, the agriculture strategy calculated to improve our agricultural production substantially. The agriculture strategy consists of extending our irrigation potential, increasing the consumption of fertilisers and introduction of high yielding varieties and I am confident that if this strategy is pursued with greater amount of vigour and energy, within a couple of years we shall be able to attain a stage of stability and self-sufficiency so that droughts or adverse weather conditions will have only marginal effect on our agricultural production.

Irrigation is very crucial and vital to agriculture. We all know that. It not only enables the farmers to raise more than one crop from the same land in a year, but it also makes possible the introduction of scientific and modern method of cultivation with larger doses of inputs which increases productivity. We have increased our irrigation potential at the rate of 2.4 million hectares during the last three years nd we propose to increase it by 3 million hectares in the coming two years of the Sixth Five Year Plan. But we shall have to see that not only the irrigation potential is increased but its fullest use is ensured.

Water has become a very costly input because of the escalation of the cost of irrigation projects. Its economic use also should be ensured. Therefore it is necessary that scientific and modern techniques of water management should be ensured which will take care of the fullest utilisation of the irrigation potential that has been created and also economic use of water.

Fertiliser is also a very important item which helps in increasing agricultural production. We know from experience that when we have increased the consumption of fertiliser, it has been reflected in improvement in agricultural production also. But the price of fertiliser is so high prohibitive that it tends to discourage consumption of fertiliser, to a certain extent. I appeal to the Hon. Minister to further subsidise the price of fertiliser so that the poor farmer can purchase fertiliser which will be economical for him and with the increased consumption of fertiliser, our agricultural production may increase. I think that the advantage that we shall derive in terms of increased agricultural production will far outweigh the amount of money that you give towards further subsidy to fertiliser. To know the exact fertiliser requirement of the soil, it is absolutely necessary that there must be soil testing facilities which we do not have at present in the rural areas as a result of which very often excessive doses of fertiliser are given by the farmer which do not increase our production. Therefore I would appeal to the Hon. Minister to see that there is facility for soil testing in the rural areas at the block-level at least, so that the farmers can get the soil tested, so that they can know the exact requirement of fertiliser for their land and they can economise in the use of fertiliser which is also very very necessary considering its high price. In our country there is a vast possibility for utilising the organic manure that we have got. But unfortunately it is being wasted and not properly used. Organic manure not only enriches the soil, changes its texture and composition and gives it nutrients and minerals but also leads to increase in agricultural production if it is used on an extensive scale.

Therefore, there must be a very intensive compaign to educate the farmers about the utility of organic manure. In our country we have a colossal amount, thousands of crores of rupees worth of organic manure, which can be utilised for agricultural production and it will be a great help to us in boosting our production and increasing the productivity.

Our agricultural scientists and research scholars have done a commendable job. They have evolved and developed hybrid seeds, high-yielding varieties of seeds, and modern and scientific method of cultivation. But the knowledge which they have acquired should not be confined

to the laboratory; it must go to the field, reach the door of the farmers, so that they utilise this knowledge and are benefited from it.

The extension work which is being done at present is not satisfactory. Those who have been shouldering the responsibility of extension work do not have the competence, do not have the knowledge, theoritical and practical, and do not have the incentive to give that knowledge to the farmer so that he can utilise it, he can adopt new, modern and scientific methods and increase his agricultural output. I shall give you one example from my constituency. We have got a very big cold storage plant for potato preservation. But the agricultural officers are very indifferent and callous to potato cultivation, as a result of which.....

MR. CHAIRMAN : Please try to conclude.

SHRI NITYANANDA MISRA : I request the Chairman, in view of the previous speaker having taken more than half an hour, to be generous to me by giving some more time.....

MR. CHAIRMAN : Leave it to the Chair. That was the time allotted to that party and they have utilised it. There is a long list of names from the Congress-I Party and I have to give only ten minutes each.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : He may be allowed some more time. He is taking interest in the subject.

MR. CHAIRMAN : I don't mind. The Hon. Member will continue.

SHRI NITYANANDA MISRA : The agricultural officers there have not exhibited much interest for improvement of potato cultivation as a result of which potato cultivation has not made much headway in spite of the fact that we have got a very big cold-storage plant in our district. The main difficulty is the availability of quality seeds, including the potato seed which has been recently released by our research centre. This is a problem not only in my constituency but also in the whole of the State where hundreds of acres of land have been devoted to potato cultivation but the potato growers find difficulty in getting quality seeds and the latest developed seed which they require. I would draw the attention of the Hon. Agriculture Minister to this and I would request him to have a potato seed farm in Samilguda, Koraput district, where the climatic condition and the soil are very much similar to those of the Nilgiri Hills where potato is grown throughout the year. We can have a seed farm there which will fulfil the requirement of the potato growers in the whole of the State.

Our agricultural scientists have done a very good job and have evolved a technology which is relevant, which is suitable, to irrigated areas. But in our country 70 per cent of the cultivable land is dry and rain-fed. Only 30 per cent has irrigation facilities and 70 per cent of the farming community cultivate land under rain-fed conditions. That is the reason why it is necessary that emphasis should be shifted to intensive research work suitable to rain-fed conditions so that the farmers belonging to the rain-fed areas can be benefited from it.

15.00 hrs.

A new technology has got to be evolved. A new technique of dryland farming has got to be evolved. Of course, some work is being done in this regard and we have got seeds which are drought-resistant and which can stand whenever there is scarcity of water. Still much needs to be done by our agricultural scientists in the field of evolving a technology which will be relevant to our dry conditions and rain-fed conditions.

We have got high-yielding varieties and crops and these high-yielding varieties are suitable for cultivation in those areas which receive irrigation facilities because they require regulated supply of water. Therefore, every irrigated area must come under high-yielding varieties. But, unfortunately, there are vast areas which get irrigation facilities but where scientific and modern technique of cultivation with its high-yielding varieties has not been introduced. Therefore, there must be an intensive campaign to motivate, the farmers of the irrigated areas to adopt scientific techniques and go in for cultivation of high-yielding varieties which will substantially augment our agricultural production.

Another mistake we have made is to introduce high-yielding varieties in dry and rainfed areas. Because in that event there is a grave risk that if there is a drought condition, then the entire crop will fail and as the investment in high-yielding varieties is very very high, the farmer stands the risk of running a heavy loss. Therefore, the high-yielding varieties should not be grown in rain-fed conditions because of the grave risk that is involved.

Another point which I want to make is that there are certain lands which get irrigation facilities. The cultivators have the option to cultivate them or not to cultivate them. We have been providing irrigation facility at a huge cost and sacrifice to the entire nation and the country. So when irrtgation facility has been extended to certain areas it should be utilised to the fullest extent by the farmers and there must be an element of compulsion on the farmer to cultivate and make the best use of the irrigation facilities available so that our agricultural production can be maximised.

On the oil seeds and pulses front we have not been able to produce enough. As a result we are compelled to import edible oils by paying very valuable foreign exchange. We have not been able to make substantial progress in this field because of the fact that it is not remunerative for our farmers to grow oil seeds and pulses because the productivity is low.

15.04 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*].

If our agricultural scientists can evolve certain varieties of pulses and oil seeds whose productivity will be high and whose yield will be very high, then it will be economic for them and remunerative for the farmers to go in for the cultivation of such pulses and oil seeds.

Some years back we saw a news item that one variety of pulses has been evolved whose yield will be 25 to 30 quintals per hectare but, unfortunately, this technique and the hybrid seeds of this variety probably has not yet reached the farmer and that is the reason why we still face deficiency in pulses and oil seeds.

Mr. Chairman, the requirement of water for these crops is very less and their fertiliser requirement is also very less and, as such, we can grow these crops in rabi season when the yield will be very very high because uptil now we have been cultivating pulses and oil seeds in the kharif reason. Considering the fact that yield in the rabi season is high and its requirement of water is low, encouragement should be given to the farmers to cultivate these crops in the rabi season.

Sir, I would like to mention a few words about the insecticides which we are using. In the villages we do not have experts who can educate the farmers about plant protection measures and about the use of insecticides. There are so many diseases which require different types of insecticides and there are different types of insects which require different types of plant protection measures. What we feel is that because there is nobody with specialised knowledge in protection measures the cultivators in their anxiety to tackle the problems of pests and diseases very often use excessive doses of insecticides which leades to pollution of air and water. It should be checked by giving them correct advice.

Secondly, Sir, we hear that multi-nationals are dumping insectisides in other countries. If it is a fact and since we use it excessively it will lead to pollution of air which will be a great health hazard and threat to the health of the nation.

Lastly, I would mention about defore-station which is taking place now. There is indiscriminate felling of trees as a result of which our agricultural economy is being threatened. It leads to soil erosion in a big way and our river beds are filled with sands with the result there is flood havoc and siltingof reservoirs. We thought these reservirs would last 80 to 100 years whereas we now find after 15 to 20 years there is the problem of silting in the reservoirs. The climate also becomes unpredictable and rainfall becomes erratic. Therefore, steps should be taken not only for starting new afforestation but also preservation of the forest wealth should be taken care of. If required, there should be suitable legislation to ban the felling of trees.

With these words I support the Islands under consideration.

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, इस विभाग की मांगों के सम्बन्ध में बोलने के वक्त एक उलझन आ जाती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जो विभाजन हुआ है, वह इतनी जल्दी में हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें, जो कृषि विभाग के लिए आवश्यक हैं, वे इतनी उलट-पलट जाएंगी, इसको हम लोगों को समझने में दिक्कत होती है और शायद मंत्री जी को भी दिक्कत होती होगी ।

सभापति जी, हमारे देश में सन् 1950 के बाद जो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, वह संतोषजनक तो नहीं है, आवश्यकता के मुताबिक भी नहीं है मगर जो वृद्धि हुई है, वह खुशी की बात जरूर है । ढाई गुना जो वृद्धि हुई है, वह खुशी की बात है और इस वृद्धि में भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है । जमींदारी का उन्मूलन, कुछ हद तक हदबन्दी कानूनों का लागू होना, कुछ हद तक काश्तकारी कानूनों, बटाईदारी कानूनों का आंशिक रूप से लागू होना, जिससे जोतने वालों के हाथों में जमीन गई और गैरहाजिर भूस्वामियों की संख्या में कमी हुई लोगों के हाथों में जो जमीन इकट्ठा हो गई थी, उसमें कमी आई । इसलिए कृषि उत्पादन की बात करने के लिए कृषि विभाग की मांगों पर बात करने के लिए आवश्यक रूप से कृषि सुधारों की बात करनी होगी और अधूरे भूमि हदबन्दी कानूनों का लागू होना, जो अभी भी बाकी है, इन सबका समाधान इस मंत्रालय के हाथों में नहीं रहा है जिससे कृषि उत्पादन के मामले में बाधा पड़ेगी । कृषि विभाग के हाथों मे अब सिर्फ एक मामला जरूर है और वह है कर्ज़ का मामला । सभापति जी, जो कुछ भी सहायता किसानों को, सीमान्त किसानों को, लघु किसानों के कर्ज वगैरह के रूप में दी जा रहे है, उसकी कुछ कीमत है मगर अभी भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में वह निर्णायक नहीं हो सकी हैं । इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि गैर-कानूनी सूदखोरी बड़े पैमाने पर हमारे गांवों में चलती है । मेरी जानकारी में तो यह आया है कि शहर भी इससे बाकी नहीं रहे हैं और राजधानी दिल्ली में खुलेआम गैर-कानूनी सूदखोरी होती है । देश का एक भी शहर, एक भी गांव ऐसा नहीं है, जहां विभिन्न सरकारी कानूनों का उल्लंघन करके बढ़ी हुई दर पर सूद न वसूल होता हो । जो विभिन्न कर्ज मुक्त कानून राज्य स्तर पर पास किये गये हैं चाहे केन्द्र शासित राज्य हों, चाहे दूसरे राज्य हों और चाहे केन्द्र-शासित क्षेत्र हों, कहीं भी ऐसा नहीं है, जहां दावे के साथ यह कहा जा सके कि खुलेआम कानूनों का उल्लघन नहीं होता हे । मैं बड़ी आशा से इस चीज को कृषि मंत्रालय के प्रतिवेदन में खोज रहा था मगर इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है ।

या तो हमारा विभाग इस मामले से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि आज भी पूर्ण सरकारी और अर्द्ध-सरकारी स्रोतों से कर्ज मिलने के बावजूद भी बड़े-बड़े सूदखोरों और महाजनों के जरिये से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सूद की दर पर कर्ज दिया जा रहा है। गैर-कानूनी सूदखोरी की कानूनी 15 प्रतिशत तक की सीमा है लेकिन कम-से-कम जहां बहुत जायज है वहां 25 प्रतिशत, नहीं तो 35, 70, 125 और 250 रुपये प्रतिशत और इससे भी ज्यादा सूद की दर है और गरीब किसान पूंजी बचा नहीं पाता है, जिससे वह उत्पादन के कार्य में लगा सके। खेत में अन्न पैदा होते ही, उसके हाथ से वह छीन जाती है। एक बार सूखा पड़ गया, दो चार बाढ़ आ गई और अगर चौथी बार उपज अच्छी हो भी गई, तो सूद इतना बढ़ता चला जाता है कि वह पैसा उसे महाजन को देना होता है और गैर-उत्पादक कार्यों में वह पूंजी लगती है। कोई कारखाना खोल कर उसमें वह नहीं लगता है और न ही कृषि उत्पादन में वह लगती है बल्कि गैर-उत्पादक सूद के साथ उत्पादन करने वालों से पूंजी छीन कर अपने हाथों में कर लेते हैं। जो भी कानून हम देखते हैं, उनका कार्यान्वयन कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके बारे में इस रिपोर्ट में अछूता छोड़ दिया गया है। इतना ही जिक्र किया गया है कि कुछ राज्यों तमिलनाडु वगैरह की सरकारों ने इस बारे में कुछ कदम उठाये हैं। मगर यह मंत्रिमंडल क्या करता है ? जो केन्द्र शासित क्षेत्र हैं उनमें आप क्या करते हैं ? अगर आप इन कानूनों को खत्म करने का ऐलान कर दो तो भी बात समझ में आ जायेगी कि सूदखोरी जो आज जगह-एगह पर चल रही है, खूब चल रही है उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून अपनी जगह पर बना हुआ है और उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रतिवेदन में कहीं भी कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी जिक्र नहीं है। आज इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज सरकार जो कर्जा दे रही हैं, बैंकों से दे रही है, या दूसरी संस्थाओं से दे रही है उस कर्जे का एक बड़ा हिस्सा सूदखोरों के हाथ में चला जाता है। जो कर्जा आपसे वे लेते हैं, जिस दर पर लेते हैं, उससे चौगनी, आठ गुनी दर वह किसानों पर लगा देते हैं। जो राष्ट्रीय धन है, वह धन भी आज सूदखोरी को बढ़ाने में मददगार हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय जब बोलेंगे तो बतलायेंगे कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है। जो सूदखोरी विरोधी कानून हमारे देश में हैं, उनको लागू करने के बारे में सरकार क्या कर रही है ? क्या राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को इन कानूनों को लागू करने के बारे में कोई निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे इन कानूनों को लागू करें ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयास किया जाएगा ?

सभापति महोदय, आज हमारे दोनों तरफ के मित्रों ने कृषि उत्पादन की कीमत के सवाल पर बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कृषि उपज की चीजों के मूल्य लाभप्रद होने चाहिए, पैदा करने वाले के हित में होने चाहिए। जिस से कि वह अधिक उत्पादन करे और हमारे देश को बाहर से अनाज न मंगाना पड़े, अपने देश की बढ़ती हुई जरूरत को अपने ही देश में पूरा किया जा सके। इस मायने में कृषि उत्पादन बढ़ना राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है और उसके पैदा करने वाले के हित में लाभप्रद मूल्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर लाभप्रद मूल्य नहीं होते तो काम नहीं चलेगा।

सभापति जी, जब एक चीज का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी चीजों के मूल्य पर भी इसका असर पड़ता है। देश के विभिन्न भागों में मुझे जाने का मौका मिला है। उसके आधार पर

मेरी यह धारणा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के किसानों को, जिनमें लघु और सीमान्त किसानों का बहुमत है, एक साल में 6 महीने या 8 महीने बाजार से खरीद कर खाने पर मजबूर न होना पड़ता हो, उन्हें उपभोक्ता बनने पर मजबूर न होना पड़ता हो। इसलिए केवल कीमत बढ़ा देने से ही काम नहीं चलेगा। यह ठीक है कि मूल्य नीति का आधार लाभप्रदता होना चाहिए। लेकिन आपने कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये तो उनका असर दूसरी वस्तुओं के मूल्यों पर भी पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक समेकित मूल्य नीति होनी चाहिए। जो चीज़ खेत में पैदा होती है उसके मूल्य और जो चीज़ कारखाने में पैदा होती है उसके मूल्य में संतुलन रहे। जो मूल्य पैदा करने वाले किसानों को मिले और जिस मूल्य पर खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिले उन दोनों के बीच में 15-20 प्रतिशत का अन्तर हो, अधिक का न हो। होता क्या है कि किसान से सस्ते में खरीद लिया जाता है और माल व्यापारी के हाथ में चला जाता है। उससे किसान का भी नुकसान होता है और उपभोक्ता को भी। इसलिए खाली दाम बढ़ाने और घटाने से ही काम नहीं चलेगा। जो किसानों को मूल्य मिले, वास्तविक उत्पादन को मूल्य मिले, वह वास्तविक उपभोक्ता को जिस मूल्य पर चीज़ मिले, उनमें 15-20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के गले पर किसान का नाम लेकर चाकू न चलाया जाए। बीच के लोगों से किसान न लुटे। इन सब चीजों के लिए आवश्यक है कि आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के थोक व्यापार का खाद्यान्न सहित राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। खुदरा लाइसेंस लोगों को दीजिए, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके और उपभोक्ता को उचित दाम पर सामान मिल सके। कारखाने के माल की कीमत और खेत में उत्पादित माल की कीमत का अनुपात दुरुस्त रहे और लोगों को जीवनोपयोगी सामान मिलता रहे, इसके लिए नितांत आवश्यक है कि सरकार इस सुझाव पर अमल करे।

सहकारिता के बारे में मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहूंगा। प्रगति प्रतिवेदन में सहकारिता की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया है। गांवों में स्थिति यह है कि यदि वहां पर 5 धनी परिवार हैं तो उन्होंने ही सहकारिता पर कब्जा किया हुआ है। आज सीमांत किसान के लिए अलग सहकारिता की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इससे गरीब किसानों को सहकारिता का लाभ मिल सकेगा। आज गांवों में पुरानी जमींदारी प्रथा नहीं रही, फिर भी वहां पर शोषक और शोषित वर्ग पैदा हो गया है। एक तबका दूसरों के श्रम पर खुशहाल बनकर रहता है।

आज बेकारी की समस्या भयंकर है। अभी मेरे मित्र देश के पिछड़ेपन पर जोर दे रहे थे। विशेषकर पूर्वी भारत काफी पिछड़ा हुआ है। उद्योग धन्धों के मामले में और कृषि के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। कृषि विभाग से आशा है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि के लिए सहायता देगा। सुअर शब्द अगर किसी को बुरा लगता हो तो बड़ाह पालन कहा जा सकता है। इससे एक तो बेकारी दूर होगी और दूसरा देश का उत्पादन बढ़ेगा। जो केन्द्र से अनुदान दिया जा रहा है, मेरी जानकारी है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। इसको देखने के लिए आप कोई संसदीय दल बनाएं या अपने मंत्रालय में कोई मानेटरिंग व्यवस्था करें। इससे इसकी जांच की जा सकेगी कि अनुदान का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। मैंने बहुत प्रयास

किया । तीन वर्ष में मैंने कुछ दर्जन बकरी पालन के लिए, दर्जन से कम पोल्ट्री फार्म के लिए लोगों को तैयार किया । लोग तैयार बड़ी मुश्किल से होते हैं, क्योंकि औद्योगिक संस्कृति का अभाव है । अनुदान का 80-90 प्रतिशत भाग खत्म हो जाता है । इससे पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति नहीं हो पाती । खासकर बिहार जैसा राज्य जहां से लाखों लोग भाग कर बाहर जाते हैं, वहां प्रगति नहीं हो पा रही है इसकी जांच करिए । कागज पर नहीं बल्कि स्थान पर जाकर इसकी जांच करिए । आपको स्थिति का पता लग जाएगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्व का सारा इलाका इसमें शामिल है ।

आम का जिक्र किया गया है । इसके बारे में सिर्फ इतना कह दिया गया है कि विश्व का 64 प्रतिशत आम हम पैदा करते हैं । लेकिन उसके विकास के लिए क्या किया जा रहा है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया । इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा । आपके पास जितनी सड़कें हैं और नहरें हैं, इनके किनारे अगर आप आम लगा दें तो आपका उत्पादन 64 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाएगा । अच्छी किस्में जो खत्म हो रही हैं वे भी खत्म नहीं होंगी । अच्छी किस्में जो सबोर और पूसा द्वारा दी हुई हैं उनको भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सकता है । इस क्षेत्र में स्थिति बड़ी निराशाजनक है । इस दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है । आम का उत्पादन करने वालों को उचित दाम दिलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है । नारियल के लिए अवश्य कुछ प्रयास हुआ है । इस प्रयास के चलते जो परिणाम मैंने देखा है, उससे यह बात गलत साबित हो गई है कि यह समुद्र के किनारे ही हो सकता है । इसे आप विभिन्न हिस्सों में भी लगा सकते हैं । इससे आमदनी में भी और उसमें भी वृद्धि हो सकती है । मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय ऐसा तरीका निकालें जिसमें जो सासद आलोचना या सहयोग की बात करते हैं, वे भी इसमें मददगार हो सकें । जो इच्छुक हों, वे इसमें मदद कर सकें । एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा और आशा करता हूं कि मंत्री जी अवश्य सदन में इसका जवाब देंगे । साढ़े सात लाख टन आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया है । पिछले साल 123 रुपये क्विंटल हमने खरीदा था । क्या यह सही बात है कि जो खरीदा गया उसका 32 रुपये क्विंटल अधिक दाम दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उसमें से डेढ़ लाख क्विंटल गेहूं बरबाद हो गया और बाकी इधर-उधर गोदामों में पड़ा हुआ है । उसमें कुछ ऐसी खामियां है जिसकी वजह से लोग नहीं ले रहे हैं । इस बात का खतरा है कि पूरा साढे सात लाख टन गेहू घाटे में चला जायेगा । अगर ऐसा है, तो फिर क्यों यह गेहूं लिया गया ? इसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है या इसके बारे में कुछ नीति है ? इस बारे में अवश्य सरकार की ओर से जवाब मिलना चाहिए । अब मैं गन्ने के बारे में कुछ कहना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : आपके 15 मिनट हो गये हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह विभाग मेरे पास नहीं है । इस पर बिचार हो चुका है ।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने विभाजन कर लिया है, यह ठीक है । लेकिन मुझे खतरा लगता है कि अगले साल गन्ने की पैदावार कम हो जायेगी । केवल आपका ध्यान दिला रहा हूं । वित्त विभाग और बैंक गन्ना मिलों को पैसा देता है और सिविल सप्लाई विभाग द्वारा

इसकी कीमत तय की जाती है। उत्पादन बढ़ाने की भी इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। गन्ने के उत्पादक भी कम होते चले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Civil Supplies is not under him.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मंत्री जी कह देंगे कि वे जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : गन्ना उत्पादकों को फौरन मूल्य मिलना चाहिए। ये किसानों को कर्जा और राहत देने की बात कर रहे हैं। उसका अपना कर्जा बाकी है। इससे वे निरूत्-सहित हो जायेंगे और गन्ने का उत्पादन कम हो जायेगा। उसके बाद विदेशों से चीनी मंगानी पड़ेगी, जैसा कि पहले भी होता रहा है। दूध की डेयरी हमारे यहां काफी दिनों से पड़ी हुई है। उसके बारे में मैंने कट-मोशन दिया है। उसको अब नहीं उठाना चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक समेकित मूल्य नीति के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएं। कर्ज के बारे में सूदखोर को जो छूट दी गई है और जिसके बारे में ये कानून को लागू नहीं करते हैं, इसको मंत्री जी अपने जवाब में बताए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : परम् विद्वान अधिष्ठाता जी,···

राव बीरेन्द्र सिंह : शायद टाईम ज्यादा लेना चाहते हैं।

श्री हरीश रावत : आपने याद दिला दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। जब हम इस देश की योजनागत् और विशेषकर कृषि क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो हम इस देश के राष्ट्र-नायक नेहरू जी को नहीं भूल सकते। आज जो भी कृषि के क्षेत्र में इंदिरा जी, राव साहब और कृषि मंत्रालय के लोगों के अथक प्रयास से कार्य हो रहा है, इसकी बुनियाद डालने का श्रेय पंडित नेहरू और उस समय के योजनाकारों को है। हमारे एग्रीकल्चर साइन्टिस्ट् विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं उनको भी और कृषि मैनेजमेंट के क्षेत्र में करने वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि इन सब के सतत् प्रयत्नों का फल है कि हम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो उपलब्धि पिछले 3 वर्ष में प्राप्त कर पाये हैं उस पर आज हमें गर्व है। लेकिन मान्यवर, जो उपलब्धियां कृषि के क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं और विशेषकर कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उनका लाभ साधारण किसान को नहीं मिल पाता। उसका लाभ अधिकांशत बड़े-बड़े फार्म्सवालों को ही मिलता है। इनका लाभ साधारण किसान को मिले इसके लिये कृषि मंत्रालय को कोशिश करनी चाहिये। जो कोशिश की गई है और जो लैंड रिफार्म है उसमें अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। सैकड़ों ऐसे मुकदमे विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े हुए है। सोशलिस्ट लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल के उच्च न्यायालय में अकेले हिन्दुस्तान के अन्दर जितने लैंड सीलिंग के मामले विचाराधीन हैं उसका 33 प्रतिशत अकेले पश्चिम बंगाल में है। यही नहीं बड़े-बड़े फार्म्स वाले लोग अपनी लैंड को सीलिंग से बचाने के लिये कावेरी के नाम पर लिखा लेते हैं जो एक गाय का नाम भी हो सकता है और लड़के का नाम भी हो सकता है, टोनी के नाम पर लिखा लेते हैं जो कुत्ते का नाम भी हो सकता है और लड़के का नाम भी हो सकता है। इस तरह से लोगों ने अपनी जमीन को बचाया है। इसको सरकार को देखना चाहिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आता है।

श्री हरीश रावत : आप हमारी भावनायें उन तक पहुंचा देंगे । चौथी योजना में स्माल डेवलपमेंट ऐजेन्सी भी···

राव वीरेन्द्र सिंह : यह भी रूरल डेवलमेंट मिनिस्ट्री में आता है । आप एग्रीकल्चर की बात बोलिये ।

श्री हरीश रावत : आपने दो एजेन्सीज क्रीएट की, एक छोटे किसानों के लिये और दूसरी मार्जिनल फार्मर्स और खेतिहर मजदूरों के लिये । मगर उन एजेन्सीज के क्रीएट करने के बाद भी जो उम्मीद थी कि यह विभिन्न ऐफर्टस को कंसालीडेट करके हमारे साधारण गरीब किसान, छोटी होल्डिंग वाले किसान मैक्सिमम फायदा उठा सकें, उस कोआर्डिनेशन के काम को भी वह नहीं कर पाये । मार्जिनल स्माल फार्मर्स तक रिसर्च का फायदा नहीं पहुंचा, घाटा मैनेजमेंट की शिक्षा उनको नहीं पहुंच सकी, क्रौम पैटर्न किस तरह से निर्धारित करता है लैंड का मैक्सिमम यूज किस तरह से करना है इसकी शिक्षा उन्हें नहीं दे पाये । उसकी जमीन किस तरह की है, ऐल्कलाइन है या ऐसिडिटी वाली है, इसकी जानकारी उनको नहीं दे पाये । तो नई तकनीक साधारण और स्माल फार्मर्स तक पहुंचे यह काम करने के लिये इन ऐजेन्सीज को आपके मंत्रालय को ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिये ।

फर्टिलाइजर्स और ऐग्रीकल्चर टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का आधुनिकतम इस्तेमाल लोग नहीं सीख पाये है । ड्राई लैंड फारमिंग में केन्द्रीय सरकार ने काफी काम किया है । राज्य सरकारों ने जो टारगेट दिखाये हैं उनको ठीक तरह से मानीटर करना चाहिये ताकि मालूम हो सके कि वह टारगेट वाकई में प्राप्त हो पाये हैं कि नहीं । ड्राई लैंड फारमिंग का लाभ पर्वती क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पाया है । पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की कृषि आज भी कृषि वैज्ञानिकों के लिये एक चुनौती है । चाहे कृषि क्षेत्र में कितना ही क्रान्तिकारी काम किया हो, अगर 35 साल की आजादी के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि उसी पैटर्न पर है जैसे पहले थी । वहां का किसान आज भी उसी प्रकार की फसलों को पैदा कर रहा है जो उसके लिये लाभदायक नहीं हैं । आज भी वह मड़ुआ बोता है जिसमें प्रोटीन नहीं है । मल्सेज को उन्होंने नहीं अपनाया और हार्टिकल्चर के क्षेक्ष में जो काम अंग्रेज कर गये हैं उसी को देख रहा है और देख कर खुश हो रहा है ।

हर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी हम किसान के लाभ के लिये कुछ नहीं कर पाये । वहां के वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से यूज किया जाये, उस दिशा में भी सराहनीय प्रगति नहीं है । वहां से नदियां और पानी निकलता है, लेकिन वहां के खेत आज भी प्यासे हैं ।

पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर हिमाचल में फलोद्यान के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है । उनकी देखादेखी हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में, जम्मू-काश्मीर में भी कुछ काम हुआ है, मगर जो फल वहां पैदा होते हैं उनकी मार्केटिंग और स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण फलों की अच्छी कीमत वहां के लोगों को नहीं मिलती । इससे लोग हतोत्साहित हो रहे हैं । वहां जो वैजीटेबल्स, सब्जी पैदा हो रही है, यह पैरिशेबल आइटम है, उसके लिए कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो उनके उत्पादन की मार्केटिंग की व्यवस्था कर सके जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी जो हमारी कृषि है, वह आपके लिये आपके

मंत्रालय के लिये, कृषि वैज्ञानिकों के लिये एक चुनौती है।

आपने पिछली छठी पंचवर्षीय योजना में यह फैसला किया है कि जम्मू-काश्मीर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, मगर उस क्षेत्र में अभी भी कोई प्रगति नहीं हो पाई। पर्वतीय क्षेत्रों में जो डिफरेंट टाइप के रिसर्च सेंटर हैं, छोटे-मोटे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, उनको स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है। आप स्टेट गवर्नमेंट पर उनको छोड़ देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उनको वजट नहीं देती है इसलिये वह रिसर्च नहीं कर पाते हैं।

हमारे अल्मोड़ा में एक विवेकानन्द रिसर्च लेबोरेटरी है। यह बहुत बड़े व्यक्ति के नाम पर है। बहुत बड़े व्यक्ति एक बार उसके संचालक भी रहे हैं श्री मोती सिंह जी। लेकिन जब आप फंड नहीं देंगे तो वहां क्या होगा? जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्च साइंटिस्ट्स हैं, वह हाथ-पर-हाथ रखकर बैठे रहते हैं। पन्त नगर यूनिवर्सिटी से हमको बहुत उम्मीद है, लेकिन जनता पार्टी के लोगों की देन है कि उनके शासन काल में उस विश्वविद्यालय का क्या हाल हुआ है। यह हिन्दुस्तान का ही नहीं, बल्कि दुनिया का महान विश्वविद्यालय है लेकिन वह धीरे-धीरे रुइन (बर्बाद) हो रहा है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार का हो रहा है कि वहां के अध्यापकों को और वैज्ञानिकों को आत्महत्या करनी पड़ रही है।

श्री हरिकेश बहादुर : आप पन्त नगर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, वहां अभी एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : सुसाइड हुआ है या आप लोगों ने मर्डर किया है, इस बात का क्या पता है?

श्री हरीश रावत : आप पन्त नगर की व्यवस्था को सुधारिये। अगर आप उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में कोई विश्वविद्यालय नहीं बना सकते हैं तो वहां के रिसर्च सेंटर को स्ट्रेन्थन कीजिये और साथ-ही-साथ उनका को-आर्डिनेशन पन्त नगर विश्वविद्यालय के साथ होना चाहिये।

पन्त नगर विश्वविद्यालय को कहिये कि वह अपने कैम्पस में हार्टिकल्चर, एनीमल हजबंडरी, सीरीकल्चर, फिशरीज और दूसरे तीसरे क्षेत्रों में, जो वहां की इकनामी को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कर सकता है? उसके लिये वह काम करे। अभी तक कोई भी काम पन्त नगर विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में नहीं किया है।

उस एरिया में जो सेंट्रल लैंड यूज कमीशन आपने बनाया है और उसके मातहत स्टेट में जो डिफरेंट बोर्ड बनाये हैं, यह बोर्ड केवल स्टेट लैवल तक नहीं रहने चाहियें, उन्हें डिस्ट्रिक्ट और ब्लाक लैवल तक आप बढ़ाइये और मातहत सायल टैस्टिंग लैबोरेटरीज बनाइये। वह किसी भी यूज में आज तक नहीं आ रहा है।

आपका जो सोशलिस्टिक फारेस्टरी क प्रोग्राम है वह भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्लान्टेशन रेज करना चाहते हैं या और कोई मदद उनसे चाहते हैं तो सायल टैस्टिंग लैबोरेटरी में आपने 2 आदमी रखे हैं जो नान-टैक्नीकल हैं, वह क्या करें? खाली सायल टैस्टिंग का बोर्ड लगा है, इस विषय में भी आप कृपा कर के मदद करें।

मैं सायल कंजरवेशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे

पर्वतीय क्षेत्रों में सायल कंजरवेशन का वर्क केवल हिमालय रीजन के लिये नहीं है, वह राष्ट्र के लिये है ।

वहां पर सायल कनजरवेशन के क्षेत्र में जो काम अभी तक किया गया है, वह संतोषजनक नहीं है । इस बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना से कोशिश हो रही है और इस समय तक केवल 21 कैचमेंट्स को आइडेंटीफाई किया जा सका है । ये बड़े कैचमेंट्स हैं । सरकार उन्हीं कैचमेंट्स को लेती है, जिनमें दो हजार हैक्टेयर या उससे अधिक भूमि उपलब्ध होती है और वह उनको नर्स करती है । लेकिन अगर सबसे ज्यादा नुकसान सिल्टिंग, भूक्षरण, का कहीं है, तो वह माइक्रो-कैचमेंट्स में है । जब तक हम इस बारे में देहरादून के फोटो इंस्टीट्यूट की सहायता नहीं लेंगे, जो फोटो सरवे करके अपनी रिपोर्ट सायल कनजरवेशन बोर्ड के पास भेजे और जब तक उसके आधार पर माइक्रो-कैचमेंट्स को आइडेंटीफाई करके माइक्रो कैचमेंट स्कीम नहीं बनाई जाएगी, तब तक यह काम लाभदायक नहीं हो सकता । अगर सरकार समझती है कि केवल 21 कैचमेंट्स के आधार पर सिल्टिंग और फ्लड की प्राबलम हल हो जाएगी, तो वह गलती पर है ।

सायल कनजरवेशन का काम कई एजेन्सीज द्वारा किए जाने के कारण यह योजना उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, जितनी कि वह हो सकती थी । फ्लड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, स्टेट का इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का सायल कनजरवेशन डिपार्टमेंट, सोशल फारेस्ट्री डिपार्टमेंट और पैस्चर डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट सभी इस काम को करते हैं । अगर हम लोकल लेबल पर पैस्चर डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट से कहते हैं कि वह इस काम को करे, तो वह कहता है कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, वही करेंगे । इसी तरह की बात दूसरे विभाग भी कहते है । मेरा सुझाव है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करके यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम एक कैचमेंट के लिए एक ही डिपार्टमेंट काम करें, ताकि उसकी उपलब्धि को ठीक तरह से आंका जा सके ।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की नियमित रूप से और मौके पर मानिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जितना पैसा दिया जाता है, उसमें से आधा पैसा उपयोग में नहीं आ पा रहा है । सैंट्रली स्पांसर्ड योजनाओं का भी कमोवेश यही हाल है ।

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में रामगंगा परियोजना पर फारेस्ट के दो डिवीजन काम कर रहे हैं और उसके लिए 59 लाख रुपया दिया गया है । इससे उस सारे क्षेत्र की सिल्टेशन की प्राबलम हल नहीं होने वाली है । इंजीनियरिंग का काम भी उन्हें सौंप दिया जाता है । उसके लिए काफी पैसा चाहिए । कभी-कभी वे किसी काम को आधे में रोक देते हैं ।

सायल कनजरवेशन के क्षेत्र में देहरादून में दो तीन आर्गनाइजेशन्ज इस प्रकार के काम मे लगी हुई हैं । उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है । मैंने अपनी आंखों से उनके काम को देखा है । मेरा निवेदन है कि उनकी एक्सपर्ट ओपीनियन से लाभ उठाकर इस काम में लगे हुए डिपार्टमेंट्स को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में नयार नदी, पनार नदी और कोसी कैचमेंट के लिए अधिक धन देने की जरूरत है ।

हिल एग्रोनामी के बारे में मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब तक इसको फारेस्ट पर बेस नहीं किया जाएगा, तब तक पर्वतीय क्षेत्रों के

फारेस्ट बचने वाले नहीं है। सरकार ने हाल में एक केन्द्रीय कानून बनाया है। हम लम्बे समय से यह मांग कर रहे थे कि ऐसे कानून की जरूरत है, जिसके अन्तर्गत वनों के कटाव पर रोक लगाई जाए। यह बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना फाल्टी है कि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों में इस बारे में असंतोष व्याप्त है।

मान्यवर, आप थोड़ा सा वनों की हिस्ट्री को देखिए। 1894 में अंग्रेजों के समय में एक नेशनल फारेस्ट पॉली बनी थी, जिसका लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि वह वनों के संवर्धन के लिए थी। उसके बाद 1927 में अंग्रेज सरकार ने इंडियन फारेस्ट एक्ट पास किया और उस समय पवर्तीय क्षेत्रों के अन्दर एक भयंकर आन्दोलन चला था। क्योंकि लोगों के मन में यह भावना आ गई थी कि फारेस्ट पालिसी बनाकर जो हमारे जंगल थे, जिनको लोग अपना जंगल समझते थे, उनसे उनको दूर हटा देंगे। मैं 1955 के आसपास की बात करता हूं। उस वक्त जंगल में आग लगी, तो मैं खुद तीन-चार बार आग को बुझाने के लिए गया था। आज यह प्रवृत्ति हो रही है कि जंगल में आग लग रही होती है और चलता हुआ आदमी यदि कहीं पर देखता है कि इधर आग नहीं लग रही है, तो उधर भी आग लगा देता है। जंगल आज काफी दूर होते जा रहे हैं। आज इसकी ओर सोचने की आवश्यकता है। हमारी जंगल की पालिसी का आधार यह होना चाहिए कि जिससे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। उसका आधार ऐसा होना चाहिए जिससे वहां की तरक्की हो। अभी हमारे पनिका जी और हिमाचल के भाई बता रहे थे, यदि वन के अन्दर कोई पानी का टैंक बनाना है, जब कि उसमें कोई पेड़ कटने वाला नहीं होता है, तो भी उसकी अनुमति लेने के लिए भारत सरकार के पास आना पड़ता है। फारेस्ट डिपार्टमेंट के एटीचूड को आप देखिए, इस कानून के बनने से वे समझते हैं कि उनके खाने पीने का कोई जरिया नहीं है। करप्ट आफिसर और करप्ट डिपार्टमेंट का एक ऐसा गिरोह था, इस एक्ट के बनने से उनके खाने-पीने का जरिया था, वह बन्द हो गया। वे लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं। जब वन विभाग के ज्वांइट इन्सपैक्शन की बात आती है, तो उसको तीन-चार महीने के लिए टाल देते हैं। जब कोई योजना स्वीकृत होती है तो उसके ज्वाइंट इन्सपैक्शन को तीन चार महीने के लिए टाल दिया जाता है। फिर राज्य सरकार के लैवल पर कोई काम होता है, तो उसको भी तीन-चार महीने के लिए टाल दिया जाता है। उसके बाद जब केन्द्र सरकार के पास आती है तो परफोरमा को ठीक से भर कर नहीं भेजा जाता है। यह जो लैक्युना है, यह जो कमी है, इसको आपको दूर करना चाहिए। यदि कोई योजना है, जिसमें जंगल नहीं कटेंगे, यदि कट जायें तो दस-बारह पेड़ कट जायें, तो उसकी अनुमति के लिए भी आपके पास आना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में यह उचित नहीं है। यदि कोई योजना स्वीकार हो रही है और 1985 में पूरी होनी है, तो इस अधिनियम के कारण स्थानीय लोग यह महसूस करेंगे कि उनकी तरक्की नहीं हो रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वन विभाग के एटीचूड को बदलिए। वन विभाग के आफिसर फारेस्ट डेवलपमेंट के काम को अपना काम नहीं समझते हैं। फारेस्ट डेवलपमेंट के काम के लिए, सोशियल फौरेस्ट्री के काम के लिए जब कोई अधिकारी जाता है, तो वह समझता है कि उसको दंडित किया जा रहा है। इस एटीचूड को भी बदलने की जरूरत है।

मान्यवर, जैसे सोशियल फारेस्ट्री का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो काम आप कर रहे हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं, उसका ठीक से उपयोग होना चाहिए। इसको भी देखने की आवश्यकता

है। आपने पालिसी स्टेटमेंट में कहा है कि सेन्ट्रल टीम जगह को देखने के लिए जाती है। फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसी जगह को दिखाते हैं, जहां अच्छा फारेस्ट पैदा किया हो या गांव वालों की मेहनत से या स्थानीय लोगों की मेहनत से अच्छा काम किया होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप मेरे जिले पिथौड़ागढ़ और अल्मोड़ा को देख लीजिए, जितना कहा जाता है उसको 50 प्रतिशत भी काम नहीं होता है। यदि हो जाता तो कोई भी जीमन खाली नहीं रहती। आप वहां जाकर हकीकत को देख सकते हैं। आपने प्लान डाक्यूमेन्ट में कहा है कि जो हमारा छटी पंचवर्षीय प्लान है उसमें फारेस्ट पालिसी को चार-पांच आधार पर माना गया है। एक तो पुराने वनों की रक्षा की बात कही गई है, दूसरे नये वन लगाने की बात कही गई है—ये दोनों बातें बहुत स्वागत योग्य हैं। लेकिन नये वन लगाने का काम जहां करें उसमें गांव के लोगों को भी जोड़े, उनका सहयोग लीजिये। ऐसी लाइन में वन को रेज़ मत कीजिये, जो वाहियात किस्म की हैं या बेकार किस्म की हैं। जिस वन को आप पंचायत लैंड या वेस्ट लैंड पर रेज़ करें, उसके लिये गांव वालों को एशोअर कीजिये कि उस पर उनका ही स्वामित्व रहेगा। अगर लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि उनका स्वामित्व नही होगा तो वे आपके साथ कोआपरेट नहीं करेंगे।

फयूअल और फाडर के सवाल को लीजिये। जंगल से हमें फयुअल नहीं मिलेगा क्योंकि हम जंगल से काट नहीं सकते, फयूअल के नये साधन हमारे लिये उपलब्ध नहीं हैं—ऐसी हालत में हमारे लोग क्या करें? फाडर की हालत यह है कि उस तरह के फाडर को आप सब्सीडाइज़ नहीं करेंगे जिस तरह के फाडर को हमारे जानवर खा सकते हैं। जंगल के फाडर को हम ला नहीं सकते। ये सब चीजें ऐसी है जिनकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है।

एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स लाने के लिये भी लोगों को दिक्कत हो रही है। नये इम्प्लीमेन्ट्स जो वैज्ञानिक आधार वाले इम्प्लीमेन्ट्स हैं, वे उनको दे नहीं रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपकी फारेस्ट पालिसी एक बार फिर रिव्यू चाहती है। मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं—जहां पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपने वनों के लिये 484 करोड़ रुपये खर्च किये थे, छठी पंचवर्षीय योजना में आप 700 करोड़ रुपये के लगभग खर्च करने जा रहे है। लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब कि आप स्थानीय लोगों को वनों के विकास के साथ जोड़ेंगे।

मैं आप से पुनः निवेदन करूंगा—हिल इकानामी को आप जब तक वनों के साथ नहीं जोड़ेंगे, एग्रीकल्चर के साथ नहीं जोड़ेंगे, नई तकनीक वहां के लोगों को नहीं सिखायेंगे, नई जानकारी उनको नहीं देंगे, वहां जो खर्चा होता है उसमें सबसिडी नहीं देंगे, तब तक पर्वतीय क्षेत्रों की इकानमी में परिवर्तन नहीं आयेगा। वहां की कृषि जो 35 साल पहले थी, उसी प्रकार की बनी रहेगी, जो हम सब के लिये चुनौती बनी रहेगी।

अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे समय दिया, इसके लिये आप को बहुत धन्यवाद।

श्री हरिकेश बहादुर: माननीय सभापति जी, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले गेहूं का मूल्य घोषित किया है। उस को देखकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जन-विरोधी कार्य करने का एकाधिकार ग्रहण करने का फैसला किया है। जो भी कार्य सरकार करती है ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जन-

विरोधी काम करना उस की मोनोपोली है। अगर पूसा इन्सीटयूट के वैज्ञानिको से बात की जाए तो वे भी कहते हैं कि कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं पैदा करने का खर्चा आता है और उस पर उस को कुछ मुनाफा दिया जाना चाहिये...

श्री हरीश रावत : 1979 में क्यों नहीं दिया ? 1979 में तो चरण सिंह जी ने रोक दिया था।

श्री हरिकेश बहादुर : अगर आप उन वैज्ञानिकों से अलग से बात करेंगे तब वे आपको बतलायेंगें। मैं कागज के आंकड़े नहीं दे रहा हूं, कागज के आंकड़े देना और देखना मैंने बन्द कर दिया है, क्योंकि कागज के आंकड़ों में कुछ नहीं होता है। आप वैज्ञानिको से सीधे बात कीजिये, तब वे आप को बतलायेंगे कितना खर्च होता है। लेकिन भारत सरकार के लिये इन बातों का कोई महत्व नहीं है और न उस को इस बात की परवाह है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलने चाहियें। इस के पक्ष में इस सदन के सभी सदस्यों ने मांग की है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरे सदन का बहुमत इस पक्ष में होते हुए भी सरकार के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के विचारों की उपेक्षा करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। इस से वह बात साबित होती है कि सरकार लोकतन्त्र की मर्यादाओं को तोड़ने की प्रक्रिया में संलग्न है।

15.45 hrs.

[DR. RAJINDRA KUMAR BAJPAI: *in the Chair*]

आज हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं। खाद की कीमत बढ़ी है, डीजल की कीमत बढ़ी है बिजली की कीमत बढ़ी है, किसान जो पानी खेत में नहरों से लेता है उस की कीमत बढ़ी है। सब चीजों कीं कीमतें बढ़ी हैं। यहां तक कि कुछ चीजों की कीमतें तो तीन गुना चार गुन ले अधिक बढ़ गई हैं। अभी सन् 1978 में हमारे वर्तमान राज्य कृषि मंत्री जी को मालूम होगा जोकि सन् 1978 में तत्कालीन सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री थे।...

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सन् 1977 में।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं 1977-78 की बात बता रहा हूं। जब वे मंत्री थे तो उन्हें मालूम होगा कि 54 रुपए में जो खाद मिलती थी, आज वही खाद 130 रुपए में मिल रही है। यह भाव बढ़ाने का इन को श्रेय है।

श्री आरिफ मोहम्द खां : तब तो गन्ने में आग लग रही थी।

श्री हरिकेश बहादुर : गन्ने में तो इस साल भी आग लगने वाली है, यह आप देखिए। सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि किसान आज किस स्थित में खेती कर रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें स्वयं इस सरकार ने 1980 से अब तक यानी साल में 5 बार बढ़ाई हैं। (व्यवधान) इन लोगों की बातों में जाने की कोई जरूरत नहीं हैं। हर चींज की कीमत कई गुना वढ़ी है और अभी जो सरकार ने गेंहूं के मूल्य में बढ़ोतरी की है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है और कुछ नहीं है। किसानों को कितनी कठिनाई है, ये लोग भी इस को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि अगर न जानते होते, तो ये भी मेरी तरह से किसानों

को अधिक मूल्य देने की बात न करते। हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी वही बातें कही हैं, जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने आप की बात को माना होता, तो वे ऐसी बातें न कहते।

गन्ने के किसानों की बात मैं कर नहीं सकता क्योंकि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी कहेंगें कि यह उन के विभाग से सम्बन्धित नहीं है। लगता है कि सारा खेल, मंत्रालय को तोड़-फोड़ करने का जो हुआ है, वह इसलिए हुआ है कि जब किसी प्रकार का मामला उठाया जाए, तो मंत्री जी यह कह सकें कि यह उन के विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह इन की जिम्मेदारी न हो लेकिन हम यह कहेगें कि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त के आधार पर सरकार चलती है और उस में आप यह नहीं कह सकते कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है।

एक चीज और कहना चाहता हूं। एक नरसिम्हन समिति बनी हुई थी, जिसके बारे में कुछ जिक्र अखबारों में आया था और उस को मैंने देखा था। उन्होंने कहा था कि गन्ने के किसानों को डिस्क्रज किया जाना चाहिए नहीं तो किसान गन्ने की खेती इतनी करने लगेंगे कि गेहूं, दाल और चावल आदि सब चीजें हमें बाहर से मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ ठीक ही कहा था लेकिन उन्होंने सरकार को यह सुझाव नहीं दिया था कि जो अन्य फसलें हैं, उन का लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिलेगी, इन्सेंटिव नहीं मिलेगा, तो किसान दूसरी फसलों को उगाएगें और नतीजा यह होगा कि धीरे-धीरे किसान उन को छोड़ कर ऐसी फसलें उगाएगें, जिनसे अच्छा पैसा मिले लेकिन अगर अच्छा पैसा गेहूं का मिलने लगे, धान का मिलने लगे, दालों का मिलने लगे तो किसान ज्यादा गन्ना नहीं उएाएगें। इस प्रकार का सुझाव उस कमेटी ने नहीं दिया था। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि गन्ने की खेती कम की जाए और अन्य फसलें ज्यादा पैदा की जाएं, तो किसानों को इन फसलों का लाभकारी मूल्य दीजिए खास तौर पर गेहूं, चना, दाल और तेल की फसलों का। इससे किसानों को इन फसलों को उगाने का इन्सेंठिव मिलेगा। इसलिए जो कीमत आप ने बताई हैं, मुझे पूरी आशा है कि मानानीय मंत्री जी जब अपना वक्तव्य देगें, तो यह बताएगें कि उस रेट को फिर से रिवाइज किया गया है और उस को बढ़ाने जा रहे हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तो जैसा मैंने कहा कि जन-विरोधी कार्य करना का अधिकार सरकार ने हासिल कर लिया है, वह बात सही साबित हो जाएगी।

गन्ने के किसानों के बारे में मुझें ज्यादा नहीं कहना है अगर माननीय मंत्री जी अपने सहयोगी मंत्री को कह दें कि किसानों का जो बकाया है, उसको सूद सहित वापस किया जाए और साथ ही साथ मिलों को इतने समय तक चलाया जाए कि खेतों में उसे जलाना न पड़े जैसी कि उम्मीद की जा रही है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी ही, इस बजट सेशन का सत्रावसान होने से पहले ही माननीय मंत्री जी को यह खबर मिलेगी कि गन्ने का जलना आरम्भ हो गया है।

किसानों के साथ एक और बड़ी समस्या है और वह यह है कि किसान अगर अपनी खेती में किसी चीज का उत्पादन ज्यादा करता है, तो उसे घाटा होने लगता है और मिल-मालिक अगर अधिक चीज पैदा करता है, तो उस को अधिक लाभ होता है।

16.00 hrs

क्योंकि मिल में पैदा होने वाली चीजों की कीमत कभी नीचे नहीं आती, वह हमेशा आगे बढ़ती है। इसलिए मिल या कारखाने में चीजें पैदा करने वाला मिल-मालिक जितना उत्पादन बढ़ाता है, उससे वह उतना ही लाभ कमाता है। अगर किसान अधिक धान, अधिक गेहूं, अधिक आलू पैदा कर दे तो उसकी कीमत तुरन्त नीचे चली जाती है। नतीजा यह होता है कि किसान को उससे घोर निराशा होती है। अगर सारे किसान यह तय कर लें कि उन्हें अपनी पैदावार नहीं बढ़ानी हैं, कम करनी है तो नतीजा क्या होगा ? नतीजा यह होगा कि जिस तरह से आज की हालत में हमको बहुत सी चीजें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं, उसी तरह से हमें किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली सारी चीजें भी बाहर से मँगानी पड़ेंगी और इस से हमारे देश की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मिल-मालिक मिल में पैदा होने वाली चीजों के अधिक दाम ले करके देश को लूटते भी हैं और अधिक मुनाफ़ा भी कमाते हैं। अगर किसान लोग देश के हित में थोड़ा अधिक उत्पादन भी कर दें तो उससे उनकी हानि होती है।

माननीय मंत्री जी अभी बाहर चले गये हैं। मेरा विश्वास है कि जो माननीय मंत्रीगण यहां इस समय उपस्थित है, वे उनको जो मैं उनके द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बारे में कहना चाहता हूं, बतायेंगे। अभी जो देश में भयंकर ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, उससे किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, उसके बारे में मन्त्री जी का बयान आता है कि कोई अधिक नुकसान नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार का वक्तव्य मन्त्री जी ने बिना सर्वे कराये कैसे दे दिया।

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : That was about four days ago. The situation has become worse now only.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Now the situation is very bad. But the Minister says that the situation is not very bad.

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, जबकि चारों तरफ किसान कहते हैं कि बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने सर्वे किया हैं वे कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि बहुत अधिक हानि हुई है। लेकिन माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि मैंने जा कर के देखा है और पाया है कि बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि वे व्यक्तिगत तौर पर कोई बात नहीं करते हैं, वे भारत सरकार के मस्तिष्क को बताते हैं। इस से यह सिद्ध होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना चाहती है। इस समय जो भारतवर्ष में संकट आया हुआ है, उसके बारे में अगर यह कह दिया जाए कि कोई संकट आया ही नहीं तो इससे सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है और संकटग्रस्त लोगों को मदद करने की बात भी कम हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि यह जो ओला पड़ा है, बारिश हुई है, उसके बारे में ऐसा लगे कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सरकार को ईमानदारी के साथ इस बारे में विचार करना चाहिए और जितनी भी वसूली है वह बन्द कर देनी चाहिए और किसी प्रकार की भी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। इस के साथ ही जिन क्षेत्रों में किसानों को हानि हुई है, उन किसानों को मुआवजा देने की बात भी होनी चाहिए। हमेशा यह मांग

होती रही है और अभी भी यह मांग हो रही है। सरकार की ओर से भी आश्वासन आता रहता है। उसी प्रकार आश्वासन अभी भी सरकार दे देगी। सरकार जो आश्वासन दे उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए, उसका इम्पलीमेन्टेशन होना भी जरूरी है। मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, उस बर्बाद हुई फसलों को देखते हुए वे मुआवजा देने की बात पर विचार करें।

माननीय कृषि मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है जोकि अखबारों में छपा है। 27 तारीख का हिन्दुस्तान टाइम्स है इसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

The Hindustan Times of 27th February, 1983

"No self-sufficiency in food : India is not self-sufficient in agriculture as yet and imports in foodgrains and edible oils would have to be made for many years to come. Union Agriculture Minister Rao Birendra Singh said".

यह माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है। वे स्वयं इस बात को कहते हैं कि अभी हम सैल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं अन्यथा हम इंपोर्ट क्यों करते। उन्होंने एक बात और कही है—

"He blindly blamed the agricultural scientists and research institutes in the country and through them the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for having delayed the achievement of self-sufficiency in agriculture."

यह अपने आपमें बहुत गंभीर बात है। माननीय मंत्री जी ने इसको अनुभव किया है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। वास्तविकता तो यह है कि आमतौर पर सरकार द्वारा ऐसी बातों का बचाव ही किया जाता है। मंत्री जी ने वैज्ञानिकों के समक्ष इस बात की कहा है, इस बात की हमें खुशी है। सवाल इस बात का है कि आत्मनिर्भरता क्यों नहीं आ रही है। इसके बारे में अभी बताया गया है कि लाभकारी मूल्य नहीं मिलते इसलिए किसान हतोत्साहित होता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों के संबंध में भी विचार करना चाहिए। आज आई०सी०ए०आर० की हालत बहुत खराब है। वहां के वैज्ञानिक अपने आपको बहुत हतोत्साहित महसूस करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह ठीक नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : लोगों को इस बात का अनुभव है कि वैज्ञानिकों के साथ अन्याय होता है। टाइम्स आफ इंडिया में "डिसकवरी आफ डैथ्स" आर्टिकल छपा है। मंत्री महोदय ने इसको देखा होगा। यह बहुत गंभीर बात है। इसके बारे में मैंने 377 में वक्तव्य भी दिया था। उसका जवाब भी मेरे पास आया है। सरकार में सिर्फ एक-दो मंत्री ही ऐसे हैं जो 377 का जवाब देते हैं। जवाब गलत है या सही यह अलग बात है। जवाब में अभी जो दो आत्म हत्याएं हुई हैं, उनका जिक्र नहीं किया गया है। पता नहीं क्यों उनको छोड़ दिया गया है। मैं इस बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सारे मामले की गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए। कुछ वैज्ञानिक असंतुष्ट हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, पदोन्नति समय से नहीं हो रही है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोग जो बातें कहते हैं उनको गंभीरता से देखना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि वैज्ञानिक निराश होकर आत्महत्या न करें। उनकी शक्ति का उपयोग देश की प्रगति में हो सके।

तलवार कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। उसमें कहा गया था कि आई. ए. आर. आई. में एक बायो केमिस्ट्री डिवीजन है। इसमें एनिमल हाउस तो है लेकिन एनिमल्स नहीं हैं। यह बड़ी गंभीर रिपोर्ट थी। पता नहीं उस पर कार्यवाही हुई या नहीं। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन पर ध्यान देकर कार्यवाही की जाए। जिनकी गलती है उनको दण्ड दिया जाए।

एक स्कैण्डल के बारे में न्यूज पेपर की रिपोर्ट बताना चाहता हूं। मामला अगस्त 1981 का है। यह बात अखबारों में छपी है। अखबार से कोट करना चाहता हूं। बाद में मैं मन्त्री जी को भी दे दूंगा—

"The CBI is investigating suspected involvement of senior officers of the Agriculture Ministry in the leakage of secret documents on the wheat procurement position and its import from the United States to certain multi-national companies in the capital."

आशा है मन्त्री जी को इस रिपोर्ट की जानकारी होगी। इसकी जांच की गई या नहीं और किसी को दण्डित किया गया या नहीं? अगर इस प्रकार के कार्य होते रहेंगे तो इससे देश को क्षति पहुंचेगी। इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मूल्यों के बारे में कहना चाहता हूं।

जो आपने मूल्य निर्धारित किए हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाय। गेहूं का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसके लिए मैं मांग करता हूं कि उसे आप अवश्य बढ़ाएं।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूर्व-वक्ताओं ने अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। समय कम है, इसलिए चन्द बातों पर मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि 1952 में 36 करोड़ की आबादी थी। उस वक्त दो वक्त चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन आज 70 करोड़ की आबादी में सबको भोजन मिल रहा है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है फिर भी इतने से संतोष नहीं करना चाहिए। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। जब आफत पड़ती है तो केन्द्र सरकार हर प्रदेश को सहायता देती है। जहां-जहां सूखा पड़ा, उन प्रदेशों को आपने काफी धनराशि सहायता के रूप में दी। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ आबादी की का प्रदेश है और देश का छठा भाग हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ही प्रभावित रहा है। किन्तु, अफसोस इस बात का है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक पैसे की भी सहायता नहीं मिली। इससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूं, अगर इस बात को न कहूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाऊंगा। इसी सदन में प्रश्नोत्तरकाल में एक सप्लीमेन्टरी सवाल आया था जिसमें बताया गया था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार को सूखे के समय राहत दी गई, किन्तु उत्तर प्रदेश को नहीं दी गई। कुछ ऐसा आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय से रिपोर्ट नहीं दी। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के सांसदों ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से इस बारे में पूछा है। वहां की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखे के बारे में समय-समय पर सूचित किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, उसके मुताबिक 28 लाख 13 हजार हेक्टेअर से अधिक ऐसी जमीन थी जो सूखे की वजह से बोई नहीं जा सकी। 42 लाख 27 हजार हेक्टेअर से अधिक जो फसल बोई गई थी, वह सूखे से प्रभावित थी। वहा 46 जिले ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित हैं। आश्चर्य इस बात का है कि एक भी पैसा राहत के लिए नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पौने दो अरब की मांग की थी। अगर आप दे देते तो कम से कम उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी। मैं देवरीया जिले का रहने वाला हूं और सलेमपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 72 फीसदी वहां नुकसान हुआ। जब सेन्टर से सहायता नहीं मिली तो वहां से भी कुछ नहीं मिल पाया। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? हमारे किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों पर बड़ा खराब असर पड़ रहा है। यहां से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय से सूचना नहीं दी। लेकिन असल बात यह है कि दो-तीन बार उत्तर प्रदेश सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 13-3-63 को यह सूचित किया कि हम आपको सूखे के लिए सहायता नहीं दे सकते। मैं जानना चाहूंगा क्या 13-3-83 को केन्द्र सरकार ने कहा कि हम सहायता नहीं देंगे। और क्या उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको नहीं है? हमारे प्रदेश के मंत्री भी हैं। तो पुनः मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो धनराशि 175 करोड़ की आप देते उसको पुनः उत्तर प्रदेश को दीजिये। आज प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है। मैं जब ट्रेन से आ रहा था देखा इतनी बारिश हुई है कि जैसे धान पानी में रहता है उसी तरह से गेहूं की फसल पानी में है और कुछ थोड़ी सी बाल दिखाई दे रही है। कटी हुई अरहर सड़ गई, कटा हुआ गेहूं खलिहान में सड़ रहा है, खड़ा गेहूं पानी में डूबा हुआ है। बड़ी उम्दा फसल है, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया। इसके पहले वाला सूखा और आज की वर्षा से उत्तर प्रदेश तबाह हो गया है। तो हमें रा: दीजिये।

बहुत सी बातें आ गई हैं, संयोग की बात ऐसी है कि कृषि मंत्रालय ऐसा है कि इसमें सारे मंत्रालयों का समावेश है। अगर समय से पानी न मिले तो भी फसल न हो, बिजली न मिले तो ट्यूब वैल न चलें और फसल न हो, और दोनों हों लेकिन समय से खाद न मिले तो भी काम न चले। फसल जो तैयार है, जैसे गन्ना है अगर सड़क नहीं है तो मिल में नहीं जा सकता। तो यह भी पी०डब्लू०डी० का काम है। तो ऐसा मंत्रालय है कि सारे मंत्रालयों का समावेश कृषि मंत्रालय में है। मैं तो चाहता हूं कि अगर सचमुच में गांव की तरक्की करनी है तो कृषि मंत्रालय की मदद के लिये सारे मंत्रालयों की एक समन्वय समिति होनी चाहिये जो समय से यह सारी चीजें मुहैया करा सके कृषि के लिये।

यह बात सच है कि आज शहर में जो सुविधायें मिल रही हैं उसके कम्पेरीजन में गांव की विशेष उपेक्षा हो रही है। यही कारण है कि गांव से लोग शहरों को भाग रहे हैं। 80 फीसदी लोग गावों में रहते हैं। मैं मानता हूं कि गांवों की हालत पहले से कुछ अच्छी है, लेकिन शहर के मुकाबले में गांव की तरक्की नहीं हो पायी है। जिस शहर में 10 साल पहले एक मंजिला कोठी थी वहां तीन मंजिला बन गई, अट्टालिकायें आसमान छू रही है, शहरों में अच्छे-अच्छे पार्क बन रहे हैं। लेकिन गांव के लिये क्या? कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो किसान गल्ला पैदा करता है गेहूं, धान तो राशन कार्ड बनता है शहर के लोगों का, जो लखपती होता है उसको भी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन मिलता है। अफसोस यह है कि जो गल्ला

पैदा करता है देहात का मजदूर, आप पता लगा लें गांव में रहने वाले मजदूर को राशन कार्ड नसीब नहीं है, उसको सस्ते दर पर गल्ला नहीं मिलता है। कम जोत वाला किसान, एक या डेढ़ एकड़ वाले किसान को गल्ला नहीं मिलता है। तो क्या यह अन्याय नहीं है ? अगर यही परिस्थिति रही तो गांव बनाम शहर का झगड़ा पैदा हो जायगा। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि कम-से-कम गांव वालों को शहर वालों की तरह से, आप बड़े काश्तकारों को न दें, लेकिन जो एक, डेढ़ एकड़ के किसान हैं और जिनकी जिन्दगी मजदूरी पर निर्भर करती है उनको कम से कम राशन कार्ड हो और पैसा देने पर कंट्रोल रेट पर गल्ला मिल सके। अभी-अभी हमारे भाई कह रहे थे गेहूं के रेट के बारे में, और मेरा विचार है, मैं देहात का रहने वाला हूं, यह सच बात है कि गांव में जो बड़ी-बड़ी खेती या फार्म वाले लोग हैं वह अपने गेहूं को सरकार को नहीं देते हैं। उनके पास साधन हैं, वह अपना गेहूं गोदामों में रख लेते हैं। गेहूं सस्ते दाम पर कौन देता है ? जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं वही अपनी जरूरत पूरा करने के लिये गेहूं देते हैं। सरकार ने यह नीति अच्छी बनाई है कि कम से कम जिनको बेचना है उससे कम दाम पर कोई बनिया न खरीद सके। छोटा काश्तकार उसे ले जाकर सरकारी दुकानों पर दे सके। जब गेहूं का मौसम आता है तो छोटा काश्तकार अपने गल्ले को सस्ते रेट पर बेच देता है।

सभापति महोदय : आप अब समाप्त कीजिये।

श्री राम नगीना मिश्र : मेरा मुख्य प्राबलम तो गन्ने का है, गांव के प्राबलम को टच नहीं किया गया था, इसलिये इस बारे में कह रहा हूं।

सभापति महोदय : मुख्य प्राबलम पर बोलिये, समय कम है।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं निवेदन कर रहा था कि छोटे काश्तकार का कम रेट पर गल्ला बिक जाता है। सरकार उचित मूल्य पर खरीदती है। अगर 151 रुपये पर सरकार वह खरीदती हैं तो कुछ दिनों के बाद पौने दो सौ रुपये क्विंटल वह राशन की दुकानों पर मिलता है। इसका नतीजा यह होता हैं कि बड़े काश्तकार अपना गल्ला 200, 175 रुपये क्विंटल पर बेचते हैं। छोटे काश्तकार को 150 रुपये पर बेचकर पुनः 175 रुपये पर खरीदकर खाना पड़ता है ? मेरा निवेदन है कि छोटे काश्तकार और मजदूरों के लिये आप कम-से-कम राशन कार्ड तो बनवा दीजिये ताकि उसका जो गल्ला आप ले रहे है, उसको उचित मूल्य पर अपने खाने के लिये तो मिल जाये।

बड़े-बड़े काश्तकार और सेठ गल्ला स्टोर कर रहे हैं। इस तरह से मौत छोटे किसान की हो रही है। खेतिहर मजदूर और छोटे काश्तकार का कोई माई-बाप नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिये उनके लिये राशन की व्यवस्था होनी चाहिये।

सबसे बड़ी प्राबलम गन्ना है। उत्तर प्रदेश और बिहार जल रहा है। सवा अरब रुपया उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया है। 22 करोड़ रुपया पारसाल का बकाया है। मैं समझता हूं कि 47 परसेंट उत्तर प्रदेश में है और 73 परसेंट बिहार में बकाया है। जब किसान अपना दूसरा उत्पादन बेचता है, तो वह रुपया लेता है और सामान देता है, लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे वह बेचता है तो गन्ना देता है, लेकिन उसका दाम उसे नहीं मिलता है। अगर किसान पर कोई सरकारी मुतालबा

होता है तो वह कुर्की और वारन्ट से वसूल होता है। किसान को इतनी राहत तो मिलनी चाहिये कि अगर उसके पास 10 हजार की पर्ची है और 2 हजार का उसका मुतालबा है तो वह गन्ने की उसकी पर्ची से वसूल कर लिया जाए, किसान की कुर्की न की जाये। इसमें क्या बेचा है ? अगर इसकी भी गारन्टी नहीं है तो मैं समझता हूं कि गन्ना किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में अभी भी 4,5 किस्म की फैक्टरियां हैं। सेंन्ट्रल गवर्नमेंट की फैक्टरी पूर्व में साढ़े 17 रुपये और पश्चिम में साढ़े 18 रुपये दे रही है जब कि सारे उत्तर प्रदेश में पूर्व में साढ़े 20 रुपये और पश्चिम में साढ़े 21 रुपये दाम किसान को मिल रहा है।

देवरिया में 13 चीनी मिलें हैं। बेतालपुर और देवरिया की चीनी मिल साढ़े 17 रुपये दे रही हैं और वहीं पर गौरी और दूसरी प्राइवेट फैक्टरियां साढ़े 20 रुपये दे रही हैं। कौन सरकार को फार्मूला बताये, कौन नीति बताये, कोई सुनने वाला नहीं है।

हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि रिकवरी फार्मूला लागू नहीं किया उत्तर प्रदेश और बिहार में ठीक है। लेकिन गन्ने की नीति दूषित है। अगर 3 साल की एक नीति बना दी जाये, आज एलान कर दिया जाये कि आने वाले 3 साल में 10 रुपये क्विंटल के भाव पर गन्ना खरीदेगें तो किसान उसी रेशियो से बोयेगा। लेकिन जब गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो दाम बताया जाता है।

गन्ने की हालत क्या है ? 2 साल गन्ना बढ़ता है तो तीसरे साल कम होता है। जब गन्ना कम होता है तो सरकार दाम बढ़ा देती है, जब कि दाम अधिक बढ़ता है तो किसान अधिक बोता है। जब गन्ना अधिक होता है तो दाम कम हो जाता है, फिर किसान कम बोने लगता है। यह ठीक नीति नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि गन्ने के दाम के बारे में कम से कम 3 साल की नीति होनी चाहिये। एक मूल्य निर्धारित हो जो 3 साल तक बरकरार रहे जिसके मुताबिक किसान गन्ना बोये।

मैं उत्तर प्रदेश गया। गोरखपुर रेडियो ने एनाउन्स किया कि किसानों का एक्सेस गन्ना फैक्टरियां नहीं खरीदेंगी। मिल वाले नोटिस छाप कर भेज रहे हैं कि कोटे से अधिक गन्ना हम नहीं खरीदेंगे। आप बताइये किसान क्या करे ? कानून के अनुसार अगर कोई एक जोन का गन्ना दूसरे जोन में ले जाए, तो उसे 500 रुपए का जुर्माना और छः महीने की सजा होगी। सरकार ने पहले इस बारे में ऐलान नहीं किया। उसे पार-साल ऐलान कर देना चाहिए था कि अगर कोई कोटे से अधिक बोएगा, तो हम नहीं लेंगे। इस साल पिछले साल से कम गन्ना हुआ है। आज कहा जा रहा है कि हम अधिक गन्ना नहीं लेंगे। किसान कहां जाएगा ? मैं मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि वह अपने बयान में ऐलान कर दें कि किसान जो गन्ना बोए हुए है, वह सारा मिलों को क्रश करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, तो यह किसानों के प्रति अन्याय होगा।

उत्तर प्रदेश में सैंटर की जो पांच फैक्टरियां हैं, वे राज्य सरकार द्वारा घोषित दाम नहीं दे रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश के एस पीज इस बारे में प्रधान मंत्री से मिले हैं। प्रधान मंत्री चिन्तित हैं और चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का पूरा दाम दिया जाए और सैंटर की पाँच मिलों द्वारा किसानों को बराबर दाम मिले। वह प्रयास कर रही हैं। हमारे क्षेत्र के किसानों को उम्मीद है कि इन्दिरा जी प्रधान मंत्री हैं,

हमें गन्ने का दाम साढ़े 17 रुपए के बजाए साढ़े 20 रुपए मिलेगा। उनका यह इत्मीनान आज भी बरकरार है। मैं समझता हू कि अगर राजा की बातों पर प्रजा का इत्मीनान रहता है, तो राज्य ठीक से चलता है। मंत्री महोदय इसमें हमारी मदद करें। वह किसानों के मंत्री हैं। वह किसानों के वकील भी बन जाएं और जिस तरह से हो सके, इस समस्या का समाधान करें।

जो लोग शहरों में आकर बस जाते हैं और गांवों में नहीं जाते हैं, उन्हें असलियत का ज्ञान नहीं है। जब मैं गांवों में गया, तो मैंने देखा कि एक किसान के पास गन्ने की पाँच हजार रुपए की पर्ची थी और उस पर बैंक की वसूली गई थी। वह तड़प रहा था। उसकी समस्या का क्या समाधान है ?

यही नहीं,कुछ अधिकारी ऐसे मौके पर नये नये आदेश जारी कर देते हैं। एक तो गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर जब किसान गन्ने की पर्ची लेने जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि नो ड्यू सार्टिफिकेट लाइए।

यह सार्टिफिकेट तहसील में बिना रिश्वत दिए कैसे मिलेगा ? फर्ज कीजिए, मुझे 1000 रुपया मिलेगा और 400 रुपए मालगुजारी के देने हैं। तो जब मुझे 1000 रुपया मिलेगा, तभी तो मैं 400 रुपए दे पाऊंगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी कठिन परिस्थिति पैदा कर दी गई है। मंत्री महोदय पता लगाएं कि अगर इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, तो उन्हें वापस लिया जाए। हम कहकर आए हैं कि मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि जब गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, तो वह निर्देश दें कि नो ड्यू सार्टिफिकेट वाली बीमारी न लगाएं। इस बात को लेकर हमारे जिले में हाहाकार मचा हुआ है।

मंत्री महोदय कहेंगे कि यह प्रदेश का मामला है। वह जानते हैं कि यह रूल है कि गन्ने की पर्चियों से किसी किस्म की कटौती नहीं की जा सकती। वह गन्ने के मालिक हैं। यह विभाग उनके जिम्मे है। किसान इस आदेश से पीड़ित हैं। इसलिए वह इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दें।

कृषि विभाग जितनी उन्नति कर रहा है, उतने से ही संतोष नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय और वैज्ञानिकों से कहूंगा कि जिस प्रकार धान और गेहूं की नई वैरायटियां निकालने से उनका उत्पादन चौगुना हो गया है, उसी तरह दालों और तिलहन की ऐसी वैरायटीज ईजाद की जाएं, जिससे उनकी पैदावार बढ़े और उन पर सब्सिडी देकर उनकी उपज बढ़ाई जाए।

सरकार अरबों रुपए खाद में सब्सिडी के रूप मे दे रही है। मंत्री महोदय पता लगाएं कि कितना रुपया अधिकारियों की पाकेट में जा रहा है। छोटे किसानों को जो सब्सिडी की रकम दी जाती है, वह वास्तव में उन तक नहीं पहुंच पाती है। वह सब रुपया अधिकारियों की पाकेट में चला जाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता से इस पर विचार करें। सात अरब रुपए की जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप उसको रोककर अच्छा होगा कि खाद का मूल्य कम कर दें। खाद का मूल्य कम कर देंगे तो खेत में अधिक खाद दी जाएगी और उत्पादन बढ़ेगा। वह रुपया वास्तव में आप जिसको देना चाहते हैं, उसके घर पहुंच जाएगा।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग पेश की है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं के बारे में, जिनका

कि मैंने जिक्र किया है, बारिश से फसल बर्बाद हो गई है, इन सबको मद्दे-नजर रखते हुए आप हमारी मदद करें ।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री महोदय ने जो सदन में कृषि की अनुदान की मांगें विचारार्थ प्रस्तुत की हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए अपने कुछ ख्यालात प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

कोई वक्त था, जब हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले ग्रंथ में प्रति एकड़ आठ मन हुआ करता था, तब से काफी आज तरक्की हुई है । मेरा अन्दाजा है अब यह प्रति एकड़ 40 मन के ऊपर चला गया है । एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे मुल्क ने काफी तरक्की की है । मुल्क के 76 प्रतिशत लोग आज भी सीधे कृषि से संबंधित हैं । इसलिए इस दिशा में अभी बहुत तरक्की करनी बाकी है ।

हमारे देश में एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं । उन वैज्ञानिकों को जिस तरह का कैडर मिलना चाहिए, वह कैडर उनको नहीं मिल रहा है । इसलिए उनमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है । हमारे वैज्ञानिकों को रिसच करने के लिए जिस तरह की इजाजत होनी चाहिए, वह उनको नहीं है । उनके सामने फाइनेंशियल प्राबलम्स हैं । यदि उनको कहीं पर कुछ खर्च करना पड़ता है, तो पहले उनको स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है । इसके बगैर वे कुछ नहीं कर सकते हैं । एग्रीकल्चर टाइमफैक्टर है । यदि उसकी स्वीकृति की इन्तजार करेंगे, तो उसमें काफी नुकसान हो सकता है । इसलिए मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा अख्तियारात देने की जरूरत है । इस प्रकार वे जो भी ईजाद करना चाहें, वे कर सकें और उसके सही रिजल्ट सामने आ सकें । इस समय उनकी खास शिकायत ग्रेड्स के बारे में हैं । नतीजा यह है कि वे इस फील्ड को छोड़कर, दूसरे फील्ड में, ज्यादा पैसा मिले उसमें चले जाते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको रनिंग ग्रेड दिया जाए । रिसर्च में कान्टीन्यूटी होना लाजमी है । कान्टीन्यूटी में उन लोगों द्वारा उस फील्ड में काम करवाने के लिए उनको रनिंग ग्रेड देना चाहिए । रनिंग ग्रेड ऐसा होना चाहिए कि आगे चलते चलते हैड-आफ-दि-डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ग्रेड तक पहुंच जायें । इसमें बेशक बीच में एफिसियेन्सी-बार लगा दीजिये, क्वालिफिकेशन बार लगा दीजिये, ताकि जो उनका काम है वे उसको मेहनत से कर सकें । अपनी तरक्की के लिये, आगे बढ़ने के लिये, उनको लगन और मेहनत से काम करने का मौका मिले ।

दूसरी बात—जम्मू-काश्मीर सरकार ने हाल ही में एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी खुलवाने का फैसला किया है । मैं इस फैसले के लिए दाद देता हूं, यह जरूर होना चाहिये । बहुत साल पहले जब सादिक साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनके फौन होने पर काश्मीर सरकार ने एक बिल पास किया था और उस बिल का नाम रखा गया था—सादिक मैमोरियल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी । लेकिन उसके बाद वहां की सरकार में तबदीली हुई, शेख अब्दुल्ला साहब पावर में आये तो उनको यह नाम गवारा नहीं हुआ । वह यूनिवर्सिटी इन्तजार करते-करते आज तक नहीं बन पाई । अब वह उसको करने जा रहे हैं, यह मुबारक बात है । लेकिन मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगा—उस यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिये आप जिस कदर मदद कर सकते हैं वह जरूर करनी चाहिये । एग्रीकल्चर के लिहाज से वह रिजन एक टैम्पेरेट (Temperate) एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसलिये वहां एक खास किस्म के रिसर्च की जरूरत है । इसलिये इस सिलसिले

में जो भी फैसिलिटीज आप दे सकते हैं आपको जल्द से जल्द देनी चाहिये ।

जम्मू-काश्मीर में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, जैसे हमारा लद्दाख का इलाका है, जिसका हमारे मुल्क के किसी भी एग्रीकल्चर एरिये से मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एवस्ट्रीमली ड्राई एरिया है और वहां 100 परसेन्ट इरिगेशन के बिना घास भी पैदा नहीं हो सकती । लिहाजा उस एरियें के लिये आई०सी०ए०आर०के जरिये कोई रिसर्च स्टेशन खोल दीजिये, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जम्मू-काश्मीर में इस्टेब्लिश होने जा रही है, उसमें अभी वक्त लगेगा और उसकी ब्रान्च को लद्दाख तक बढ़ाना मुमकिन है उनके लिये अभी मुश्किल हो । इसलिये उस इलाके के लिये आई०सी०ए०आर० के थ्रू एक रिसर्च स्टेशन बनाया जाए, काश्मीर सरकार के साथ कोआर्डिनेशन में । इससे दो फायदे हो सकते हैं. वहां पर बहुत सारी ऐसी क्राप्स है, जैसे गन्दुम, जौ और सब्जियां जो यहां पर सर्दियों में उगाइ जाती हैं. वे वहां पर समर मे उगाई जाती है, इसमें रिसर्च के लिए बहुत फायदा होगा । मिसाल के तौर पर यहां पर गन्दुम की एक साल में एक क्राप रेज कर सकते हैं, अगर वहां रिसर्च स्टेशन बनाया जाय तो उससे साल में दो फसलें ले सकते हैं । इसके साथ ही रिसर्च का जो ड्यूरेशन होता है, जिसमें अगर 10 साल लगते है तो वहां पांच साल में रिजल्ट मिल जायगा । वह ड्राई आलटीट्यूड और ड्राई एरिया होने की वजह से क्राप्स की बीमारी का इन्सीडेन्स बहुत कम होता है, क्योंकि क्राप्स को जितनी बीमारियां लगती हैं वे भी हयूमिडिटी ज्यादा होने से या जो फंगल-डीसीजेज है वे भी हयूमीडिटी ज्यादा होने से आम तौर पर प्लेन्ज में पाई जाती हैं । वहां पर ये बीमारियां नही होती हैं । इससे यह फायदा होगा कि आपको डिजीज-फ्री सीड्स मिल सकते हैं, खासकर गन्दुम, जौ, पोटेटोज कि काला किस्म के सीडस प्रोडयूस कर सकते हैं । वेजिटेबिल सीड्स जो यहां विन्टर में ग्रो करते हैं, वे वहां पर समर में ग्रो करते हैं । इसलिये रिसर्च स्टेशन कायम करने से सबको फायदा होगा । वैसे वहां पर फील्ड रिसर्च लैबोरेट्री के नाम से एक रिसर्च फार्म मौजूद है जो पहले कभी विवेकानन्द रिसर्च स्टेशन, अलमोड़ा की तरफ से खोला गया था, लेकिन अब डिफेन्स वालों ने उसको ले लिया है । लेकिन वहां अभी तक कोई ऐसा रिसर्च का काम नहीं हो पाया है । वहां की जो मेन क्राप्स हैं जैसे गन्दुम और जौ हैं और जो लोकल वैराइटीज है, उनकी ज्यादा ईल्ड बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च का काम हाथ में नहीं लिया है । मेरी तजवीज है कि आई०ए०आर०आई० को इसे हाथ में लेना चाहिए और उस इलाके में सूट करने वाली वैराइटीज पर रिसर्च करनी चाहिए । जेनीटीकल फील्ड में रिसर्च की वहां पर जरूरत है । अभी जो हाई-ईल्डिंग वैराइटीज हैं, जो वहां इन्टरोड्यूस किये हैं, वे वहां के लिए सूटएबिल नहीं पाई गई है ।

मैं आपकी तवज्जा एक और मसले की तरफ रखना चाहता हूं । सन् 1981-82 के विन्टर में वहां पर बहुत बर्फ गिरी थी, इस साल भी गिरी है, लेकिन उस वक्त हमारे लद्दाख के चगंथंग क्षेत्र में, जो चाइना के बोर्डर से लगता है, और जहां पर नामेडिक ट्राइब्स रहते हैं और भेड़ बकरियां पालते हैं और घोड़े गाय भी रखते हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ था । ये लोग शीप और गोट रियेरिंग करते हैं आपने पशमीना वूल का नाम सुना होगा । यह यहीं पर पैदा किया जाता है और 1981-82 में इस इलाके में 73,183 हैडस आफ शीप एण्ड गोटस पैरिश हो गये थे 3,314 याक एण्ड हार्सेज और काऊज 354, कुल मिलाकर 76,851 हैड्स आफ कैटिल एण्ड शीप वहां पर खत्म हो गये थे और वहां के लोग इन्हीं पर एन्टायरली डिपेन्डडेंट थे और उनको आज तक एक पैसे का रिलीफ भी अभी तक सैंक्शन नहीं किया गया है । इस सिलसिले में मैंने 377 में एक स्टेटमेंट यहां पर पढ़ा था

और उसके जवाब में आपने फरमाया था कि 1 करोड़ 30 लाख रुपये, मुझे एगजैक्ट फीगर्स याद नहीं, आप दुरस्त कर सकते हैं, आपने जम्मू व काश्मीर को रिलीफ के तौर पर रिलीज किये हैं लेकिन बदकिस्मती से वह जम्मू और श्रीनगर के इलाकों बांट दिया गया और लद्दाख के लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला है। अब वे कहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दोबारा प्रोपोजल भेजा है। तो मेरी गुजारिश है कि उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करना और वहां के लोगों को रिलीफ देना बहुत जरूरी है नहीं तो वे लोग बिल्कुल तबाह हो जाएगें। इस साल भी बर्फ गिरी है और इसका क्या नतीजा होगा, यह मैं नहीं कह सकता। यह आपके नोटिस में लाना चाह रहा था।

तीसरी बात यह है कि ड्राउट और स्नोफाल से जम्मू और काश्मीर के पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। उनको रिलीफ सैक्शन करने की जरूरत है। कहा जाता है कि पैसा रिलीज होता है लेकिन वह कहां जाता है, यह देखने की जरूरत है। पैसा सैक्शन हो और लोगों को न पहुचे, यह काबिले-अफसोस है। आप पैसा रिलीज कर रहे हैं, इसलिए आप इस चीज को देखें।

एक बात और कह कर अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं। लैंड रिफार्मस का काम हर स्टेट में हो रहा है और जम्मू व काश्मीर में पहले से लैंड रिफार्मस किया गया है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर को आप को बढ़ावा देना है, तो मुल्क में हर जगह लैंड रिफार्म्स को इम्पलीमेंट करने की जरूरत है। इस बारे में एक बात काश्मीर में देखने में आई है कि काश्मीर में लोवर सीलिंग होल्डिंग पर नहीं रखी गई है। नतीजा यह हुआ कि जो लैंडलैस थे, वे लैंड-ओनर्स बन गये और जो ओनर्स थे, वे पापर्स हो गये हैं। जब आप लैंड रिफार्मस करने जा रहे हैं, तो उसमें लोवर सीलिंग रखना भी जरूरी है। एग्रीकल्चर की हाल्डिंग एक लिमिट से नीचे न चली जाए, जिससे वह अन-एकोनामिक बन जाता है यह मेरा कहना है।

इन चन्द सजेशन्स के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

شری پی نام گیال (لداخ)

مانیہ سبھاپتی مہودے۔ کرشی منتری مہودے نے جو سدن میں کرشی کی انودان کی مانگ وچار ارتھ پرستت کی ہے میں اس کا سمرتھن کرتے ہوئے اپنے کچھ خیالات پرستت کرنا چاہتا ہوں۔

کوئی وقت تھا جب ہمارے دیش میں گرین ریولیوشن کے پہلے گندم پرتی ایکڑ آٹھ من ہوا کرتا تھا۔ تب سے کافی آج ترقی ہوئی ہے۔ میرا اندازہ ہے اب یہ پرتی ایکڑ ۴۰ من کے اوپر چلا گیا ہے۔ ایگریکلچر کے فیلڈ میں ہمارے ملک نے کافی ترقی کی ہے۔ ملک کے ۷۶ پرتی شت لوگ آج بھی سیدھے کرشی سے سمبندھت ہیں اس لیے اس دیش میں ابھی بہت ترقی کرنی باقی ہے۔

ہمارے دیش میں ایگریکلچر کے فیلڈ میں کافی ویگیانک کام کر رہے ہیں۔ ان ویگیانکوں کو جس طرح کا کیڈر ملنا چاہئے وہ کیڈر انکو نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے ان میں تھوڑا سا فرسٹیشن ہے۔

کیا ہے۔ میں اس فیصلے کے لیے داد دیتا ہوں یہ ضرور ہونا چاہئے۔ بہت سال پہلے جب صادق صاحب وہاں کے چیف منسٹر تھے ان کے فوت ہونے پر کشمیر سرکار نے ایک بل پاس کیا تھا اور اس بل کا نام رکھا گیا تھا۔ "صادق میموریل ایگریکلچرل یونیورسٹی" لیکن اس کے بعد وہاں کی سرکار میں تبدیلی ہوئی۔ شیخ عبداللہ صاحب پاور میں آئے تو ان کو یہ نام گوارا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی انتظار کرتے کرتے آج تک نہیں بن پائی۔ اب وہ اس کو کرنے جا رہے ہیں یہ مبارک بات ہے لیکن میں سرکار سے ایک گذارش کروں گا۔ اس یونیورسٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ جس قدر مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہئے۔ ایگریکلچر کے لحاظ سے وہ ریجن ایک ٹمپریٹ (Temperate) ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے اس لیے وہاں ایک خاص قسم کے ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو بھی فیسی لیٹیز آپ دے سکتے ہیں آپ کو جلد سے جلد دینی چاہئے۔

جموں کشمیر میں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جیسے ہمارا لداخ کا علاقہ ہے جس کا ہمارے ملک کے کسی بھی ایگریکلچر ایریئے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایکسٹریملی ڈرائی ایریا ہے اور وہاں ۱۰۰ پرسینٹ اریگیشن کے بنا گھاس بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس ایریا کے لیے آئی سی اے آر کے ذریعہ کوئی ریسرچ اسٹیشن کھول دیجئے۔ کیونکہ یونیورسٹی جموں کشمیر میں اسٹیبلیش

ہمارے ویگیانکوں کو ریسرچ کرنے کے لیے جس طرح کی اجازت ہونی چاہئے وہ ان کو نہیں ہے۔ ان کے سامنے فنانشل پرابلم ہیں۔ یدی ان کو کہیں پر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو پہلے ان کو سیکرٹری پراپت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر ٹائم فیکٹر ہے۔ یدی اس کی سیکرٹری کی انتظار کریں گے تو اس میں کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ اختیارات دینے کی ضرورت ہے۔ اس پرکار وہ جو بھی ایجاد کرنا چاہیں وہ کر سکیں اور اس کے صحیح ریزلٹ سامنے آ سکیں۔ اس سے ان کی خاص شکایت گریڈس کے بارے میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر دوسرے فیلڈ میں جہاں زیادہ پیسہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انکو رننگ گریڈ دیا جائے۔ ریسرچ میں کنٹی نیوٹی ہونا لازمی ہے۔ کنٹی نیوٹی میں ان لوگوں کے دوڑا اس فیلڈ میں کام کروانے کے لیے انکو رننگ گریڈ دینا چاہئے۔ رننگ گریڈ ایسا ہونا چاہئے کہ اپنے لائن کو بدلے بغیر آگے چلتے چلتے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ یا ڈائریکٹر گریڈ تک پہنچ جائیں۔ اس میں بیشک بیچ میں ایفی شینسی بار لگا دیجئے۔ کوالیفیکیشن بار لگا دیجئے۔ تاکہ جو ان کا کام ہے وہ اس کو محنت سے کر سکیں۔ اپنی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ان کو لگن اور محنت سے کام کرنے کا موقع ملے۔

دوسری بات۔ جموں کشمیر سرکار نے حال ہی میں ایگریکلچر یونیورسٹی کھلوانے کا فیصلہ

ہونے جا رہی ہے اس میں بھی وقت لگے گا۔ اور اس کی برانچ کو لداخ تک بڑھانا ممکن ہے ان کے لیے ابھی مشکل ہے۔ اس لیے اس علاقے کے لیے آئی سی اے آر کے تھرو ایک ریسرچ اسٹیشن بنایا جائے کشمیر سرکار کے ساتھ کوآرڈینیشن میں۔ اس سے دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر بہت ساری ایسی کراپس ہیں جیسے گندم، جو اور سبزیاں جو یہاں پر سردیوں میں اگائی جاتی ہیں وہ وہاں پر سمر میں اگاتے جاتے ہیں۔ اس میں ریسرچ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پر گندم کی ایک سال میں ایک کراپ ریز کر سکتے ہیں اگر وہاں ریسرچ اسٹیشن بنایا جائے تو اس سے سال میں دو فصلیں لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریسرچ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے جب ہیں اگر ۱۰ سال لگتے ہیں تو وہاں پانچ سال میں ریزلٹ مل جائے گا۔ وہ ہائی الٹی چیوڈ اور ڈرائی ایریا ہونے کی وجہ سے کراپس کی بیماری کا انسی ڈینس بہت کم ہوتا ہے کیونکہ کراپس کو جتنی بیماریاں لگتی ہیں وہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے سے یا جو فنگس ڈیزیز ہیں وہ بھی ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے سے عام طور پر پلینٹس میں پائی جاتی ہیں۔ وہاں پر یہ بیماریاں نہیں ہوتیں ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ڈیزیز فری سیڈس مل سکتے ہیں خاص کر گندم جو پوٹیٹوز کی اعلی قسم کے سیڈس پروڈیوس کر سکتے ہیں —— ویجیٹیبل سیڈس جو یہاں ونٹر میں گرو کرتے ہیں وہ وہاں سمر میں گرو کرتے ہیں۔ اس لیے ریسرچ اسٹیشن قائم کرنے سے سب کو فائدہ ہوگا۔ ویسے وہاں پر فیلڈ ریسرچ لیبوریٹری کے نام سے ایک ریسرچ فارم موجود ہے۔ جو پہلے کبھی ویویکانند ریسرچ اسٹیشن الموڑہ کی طرف سے کھولا گیا تھا۔ لیکن اب ڈیفینس والوں نے اس کو لے لیا ہے۔ لیکن وہاں ابھی تک کوئی ایسا ریسرچ کا کام نہیں ہو پایا ہے۔ وہاں کی جو مین کراپس ہیں جیسے گندم اور جو ہیں اور جو لوکل ورائیٹیز ہیں ان کی زیادہ ایلڈ بڑھانے کے لیے کوئی ریسرچ کا کام ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ میری تجویز ہے کہ آئی اے آر آئی کو اسے ہاتھ میں لینا چاہیئے اور اس علاقے میں سوٹ کرنے والی ورائیٹیز پر ریسرچ کرنی چاہیئے۔ جینیٹیکل فیلڈ میں ریسرچ کی وہاں پر ضرورت ہے۔ ابھی جو ہائی ایلڈنگ ورائیٹیز ہیں جو وہاں پر انٹروڈیوس کی گئی ہیں وہ وہاں کے لیے سوٹیبل نہیں پائی گئی ہیں۔

میں آپ کی توجہ ایک اور مسئلہ کی طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ سنہ ۸۱-۱۹۸۲ء کے ونٹر میں وہاں پر بہت برف گری تھی اس سال بھی گری ہے لیکن جنگر اس وقت ہمارے لداخ کے چینگر رتھنگ جیسے میں جو چانگتا کے بارڈر سے لگتا ہے اور جہاں پر نامیڈک ٹرائبس رہتے ہیں اور بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں اور گھوڑے اور گائے بھی رکھتے ہیں ان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ یہ

لوگ شیپ اور گوٹ ریئرنگ کرتے ہیں۔ آپ نے پشمینہ وول کا نام سنا ہوگا یہ یہیں پر پیدا کیا جاتا ہے اور ۸۲-۱۹۸۱ء میں اس علاقے میں ۳۱۸۳ ہیڈس آف شیپ اینڈ گوٹس پیرش ہو گئے تھے۔ ۳۳۱۴ یاک اینڈ ہارسز اور کاؤز ۳۵۴ کل ملا کر ۶۸۵۱ ہیڈس آف کیٹل اینڈ شیپ وہاں پر ختم ہو گئے تھے اور وہاں کے لوگ انہیں پر اینٹائرلی ڈیپینڈ تھے اور ان کو آج تک ایک پیسے کا ریلیف بھی ابھی تک سینکشن نہیں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے ۱۹۸۰ء میں ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پر پڑھا تھا اور اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک کروڑ ۳۰ لاکھ روپے مجھے اگزیکٹ فیگرس یاد نہیں۔ آپ درست کر سکتے ہیں آپ نے جموں و کشمیر کو ریلیف کے طور پر ریلیز کیے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ جموں اور کشمیر کے علاقوں میں بانٹ دیا گیا اور لداخ کے لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں ملا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ سنٹرل گورنمنٹ کو دوبارہ پروپوزل بھیجا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی ریلیز کرنا اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے نہیں تو وہ لوگ بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ اس سال بھی برف گری ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا۔

تیسری بات یہ ہے کہ ڈراوٹ اور اسنو فال سے جموں اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں کافی نقصان ہوا ہے۔ ان کو ریلیف سینکشن کرنے کی ضرورت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ پیسہ ریلیز ہوتا ہے لیکن وہ کہاں جاتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ سینکشن ہو اور لوگوں کو نہ پہونچے یہ قابل افسوس ہے۔ آپ پیسہ ریلیز کر رہے ہیں اس لیے آپ اس چیز کو دیکھیں۔

ایک بات اور کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لینڈ ریفارمس کا کام ہر اسٹیٹ میں ہو رہا ہے اور جموں و کشمیر میں پہلے سے لینڈ ریفارمز کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو آپ کو بڑھاوا دینا ہے تو ملک میں ہر جگہ لینڈ ریفارمز کو امپلیمینٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں ایک بات کشمیر میں دیکھنے میں آئی ہے۔ کہ کشمیر میں لوئر سیلنگ ہولڈنگ پر نہیں رکھی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لینڈلیس تھے وہ لینڈ اونرس بن گئے۔ اور جو اونرس تھے وہ پاپرز ہو گئے ہیں۔ جب آپ لینڈ ریفارمز کرنے کی جا رہے ہیں تو اس میں لوئر سیلنگ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایگریکلچر کی ہولڈنگ ایک لمٹ سے نیچے نہ چلے جائے جس سے وہ ان اکونامک بن جاتا ہے۔ میرا کہنا ہے۔

ان چند سجیشنز کے ساتھ میں آپ کو دھنیہ واد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا سمے دیا۔ میں کرشی منترالیہ کی مانگوں کا سمرتھن کرتا ہوں۔

SHRI A.K. ROY (DHANBAD): Madam Chairman: Unlike other Ministries, the Ministry of Agriculture has one speciality. It does not do agriculture. It only does culture on agriculture; and as we find today, even that culture has been devalued, because during the debate on other Ministries, I have seen that related Ministers of other Department also remain present. But during the debate on this Agriculture Ministry, which is vitally connected with Fertilizers, Food and other allied Ministries, no one is here; and most of the time, even all the Ministers of the Department were also not present....

RAO BIRENDRA SINGH : That is wrong. Everyone was present.

SHRI A K ROY : But still I say that this is a vital Ministry which controls 40% of our national income, and employs more than 68%-70% of our working force. I would like to say that there are certain points which appear to tell us that agriculture is in a crisis. This vital wing of our economy is facing a problem

Firstly, both the Economy Survey and the Budget Speech I do not say, This Minister's speech: but the General Budget speech—start mentioning about the drought. That is the dependence of agriculture on weather. This is one vital point: to what extent, after so many years of planning, has agriculture attained its independence from weather ? That is something about which our Agriculture Minister, while replying, should enlighten us.

The *Economic Survey* starts by saying this :

> The year 1982-83 was marked by severe drought which cast its shadow over the agricultural performance."

The *Economic Survey* ends by saying :

> "With a pick-up industrial production and better weather conditions, the outlook for 1983-84 should be favourable."

Such a pathetic dependence ! Everything depends on better weather conditions in the coming year. And the Ministry of Agriculture does not control weather. It has no control over weather. If that is so, I would like to say that the real Agriculture Minister of this country is the monsoon ; and it appears that the Janata Party knew that. That is why the first Agriculture Minister of Janata Party Government was Mr Prakash Singh Badal. So, we got a good monsoon. The Congrees (I) Ministry gave us Indira, i.e. Rao Birendra Singh ; and we are getting only APC thunder, because 90% of the debate is concentrated only on APC prices-thundering and counter-thundering.

But the most important point which I want to raise is about the question of productivity. The problem of agriculture in this country is not one of having less land. It is wrong to say that. Under the name of economic holdings, etc. a wrong impression is being created that because of less *per capita* availability of land, we are having all these problems.

It is not so. It is true that we are having more or less 117 million hectares under cultivation and some 40 crore peasants are involved in that. Per capita land holding is 0.48 hectares; that means more or less like one acre per person. That is definitely less if we compare this thing with what is there in America, which is 21.5 hectares; in Australia, it is 42.33 hectares; in Canada, it is 25.4 hectares: in Russia, it is 3 hectares. But it is not less compared to the Asian standard which is 0.35 hectares; in China, it is 0.19 hectares; in Japan it is 0.26 hectares and in Bangladesh, it is 0.16 hectares. So, the problem is not less availability of the land; the problem is less productivity. In India, per hectare productivity average is even less than one tonne while in China, it is more than 3 tonnes; in Japan, it is between 5 and 6 tonnes. That is the productivity there and the productivity here.

But what is even more important is whether at this low level also, we are going to face a situation of law of diminishing return in agriculture or not; that is a very serious thing. We are having only 30 per cent of our land under irrigation and 30 kg of the fertilizer we are using, while in other countries, it is more than 100 kg, but, still some 25 per cent of our land is in the high yielding variety. What are we aiming at ? This year, we have a target of 138 million tonnes of foodgrains to attain; and it is feared that foodgrains production will not be more than 125 million tonnes though some people fear that it will be less

than 120 million tonnes. But even if we compare the production between 1978-79 and 1981-1982, the two good years' 1978-79 was the best year under the Janata time and 1981-82 was also a good year under the Congress-I regime. It is is better to compare a good rainfall year of 1978-79 with 1981-82. The production increased only by one to two million tonnes—131 million tonnes to 132 million tonnes, though the irrigated area rose by 7 million hectares, that is 14 per cent, area under high yielding variety by 6.5 million hectares that is 16 percent, and fertilizers are used by one million hectares that is 20 per cent. If we use one million tonnes of fertiliser, we are expected to get 10 million tonnes of foodgrains. But why was the increase only one million tonnes ? Either your figures are wrong, or you are boasting that you have increased so much area under irrigation, under high yielding variety and you are using such and such fertilizer; something wrong is there in the figures of your agricultural production or something wrong is happening with the system. So, I want to know whether we are reaching some sort of law of diminishing return in agriculture or not. I like to say that the whole agricultural strategy of the Government of India is wrong; it has been proved wrong. They thought without touching land relation, production relation; land reforms by technological revolution, by using more inputs, they can increase the output beyond a limit. But, now, we are facing a situation where there is no output against the input.

So, that is why I like to ask whether you have taken up the proper points for action or not. I have raised the question of land reforms, time and again. You know that land reforms is a State subject and they undertake land reforms. But the Central Goverment, from time to time sends guidelines to them. In 1973 a set of guidelines was sent. Those guidelines mentioned that a family of five persons or less should not have more than 7.25 hectares of land in some States and in some areas it is about 20.8 hectares of land, depending upon the type of land. According to those guidelines, out of 400 million acres only one per cent of the land, that is 4 million hectares was found to be surplus and 2.8 million hectares of land was distributed, 1.3 million acres was left and out of these 1.3 million hectares, most of it is held up in court cases.

I would like to ask whether this is the way to have land reforms in the country. You can ask every Party in the country, the Planning Commission and the Government, as also all other authorities whether that type of land reforms are of any use to the country. What is precisely meant by land reforms ? I would like to know whether the Ministry of Agriculture is thinking of sending another set of guidelines on land reforms so that the ceiling is reduced and more and more radical transformation of agricultural producton takes place in the State. That is the main question.

I would like to remind the House and also the Ministry of Agriculture, in this connection, that the National Planning Committee which was formed during the British times by the Congress Party had appointed a sub-committee I was reading about this in the Library and that sub-committee could not give its report because of the Quit India Movement. But it produced certain documents. I was surprised to see that in those days the National Planning Committee on Agriculture had suggested that the land belongs to take tiller of the soil. They did not suggest peasant-proprietorship but tenant proprietorship and cooperative forming, and that the land must belong to the tiller of the soil only. If it is so, I can tell you, as is seen from the present figures, we are reaching the dead end in our agricultural production and our planning is bound to fail totally unless and until, commensurate with the technological revolution we ensure that a revolution in land reforms also takes place. Such a type of land reforms are necessary for the country.

MR. CHAIRMAN : Mr. Sidnal. Only five minutes please.

SHRI S. B. SIDNAL (Belgaum) : Madam Chairman, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.

I would like to recall and remind this august House, the slogan given by Shri Lal Bahadur Shastri, "*Jai Jawan Jai Kissan*". That was the slogan given by him to implore our agriculturists and also the local people to increase agricultural production.

Agriculture depends, no doubt, on the monsoon. For a number of years, we have been depending only on the monsoon. But through our succesive Five Year Plans, we have been laying emphasis on irrigation. Out of about 1.3 million acres under cultivation, 73 per cent of it is dry and the rest is under non-irrigated land. This non-irrigated land is producing only 42 per cent of the total agricultural products like pulses and other things. And in this context we have to see the irrigated land and the dry land.

17.00 hrs.

Before this, I would like to stress on controlling of drought, floods, cyclones, etc. We have come to know after hundreds of years which particular rivers are swollen and cause aggressive floods. We know the rain-shadow areas. We know where drought conditions occur regularly, repeatedly and periodically in the country. Cyclones are also there. With the result, heavy losses are caused to the agriculture. I propose to the Government that dry farming could be activised for hit areas. I propose that afforestation and horticulture should be planted in scanty rain-fed areas. The scientists have to find out what kind of fruit bearing trees could be planted in such areas. When the sowing season comes, many a time, rain is absent. With the result we have to substitute on a permanent basis horticulture more than what our Government is doing today. Transplantation is also a must. It should be developed and encouraged. Nursery beds should be developed throughout the country where water is available and transfer the plants to the dry farming. That will give at least 50 per cent of the relief to the farmers. If it is not there, the result will be a big zero. So, I suggest that transplantation should be vigorously pursued and nursary beds should be prepared.

The agriculture in India is ploughed by the oldest implements. We want

17.03 hrs.

[MR. DEPUTY-SPAEKER *in the Chair*]

mechanisation. But our holdings are very small. We have introduced progressive laws as ceiling laws. With the result, fragmentations have been created by legislation and by population As small holders, we cannot employ machines. For example, a tractor with its implements, costs more than Rs. 2 lakh. The interest on that would be more then Rs 25,000/- per annum. What can he get with a maximum holding of 50 acres in my State, to repay that loan ? With the result, we cannot go in for mechanisation and so, we cannot get the expected yield. Countries like Russia, USA, Israel, Japan and South Korea first developed agriculture, which is the infrastructure for all other developments including industry. They are the feedback. I appeal to the scientists and the Minister to find out some implements at least for the small farmers. His implements are too old. For centuries together, the same implements have been in use. Even yesterday, we saw the happy sight of SLV-3. But when we go to the village we find the same old implements being used for agriculture and we have to move in a cart. We have two India, one is rural India and other is urban India. In order to tune up the administration in agriculture, the mode of agriculture, and its implements should be improved scientifically. I appeal to the scientists and the Ministry to allocate a special fund for getting new implements for small farmers. When we legislate a progressive law, we must go in hand to equip the farmer as and when required. Otherwise, we cannot get the oxpected yield.

With all that, I come to irrigation.

MR. DEPUTY SPEAKER : Irrigation Demand is over now.

SARI S. B. SIDNAL : It is a relative subject.

Mr. DEPUTY SPEAKER : But he may not be able to reply to that.

SHRI S. B. SIDNAL : I analyse dry farming and irrigated farming.

In the irrigated farming we are growing only the oldest patterns. The patterns of crops are the same. Either paddy may be of high-yielding variety or wheat may be high-yielding variety or any other crops for that matter, we are not getting more production in any of these grains. Our agriculturists waste the water and they do not understand how the wastage should be done away with. Bunding is also important. Even the pesticides are adulterated. Even if you spray regularly for 24 hours, no result accrues. Therefore, in irrigation the use of water should be very economic. If you give flood watering then erosion of soil will be there, the fertilizers will go, the manure will go and the best part of the land may be washed away This is the system that the farmers are following at present In Israel, by their counterparts, sprinklers are being utilised for the roots underground. When even a small country has got this achievement, we have also to think of sprinklers.

MR. DEPUTY SPEAKER : You want to follow Israel only with regard to this.

SHRI S. B. SIDNAL : Only with regard to this. They are getting more milk than water but here even water is also in scarcity in your State.

So, in this way irrigation has to be looked into in all dimensions and the things should be set right.

Technical education in agriculture is totally not there. We have many medical colleges, we have many diploma colleges, many engineering colleges, art and science colleges are also countless but we do not have technical schools for agriculture in proportion to the land, in proportion to the population involved in cultivation. We have given water but we have not given them education as to how they should apply pesticides, how to get soil tested. What is the education we have given to the agriculturists ? If agriculturist is given full education for producing crops, we will solve more than 50 per cent of the employment problem and more than 70 per cent of migration to the cities will be reduced and we will build the rural India and that will be the real India. If we do not give them education, however high-yielding the varieties or however scientific the pesticides may be, they cannot be applied because the farmers are ignorant of using them. In my area when cotton was grown at the beginning, about 5-6 years back, many people died. While chewing *paan* they ate this medicine also because they never knew what this was. So, it is very difficult to get the result without proper education .....

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI S. B. SIDNAL : I am concluding, Sir. In this way, technical education in agriculture is a must We cannot see only the news in our cinemas which our Ministry shows and feel happy about it. Actually, productivity, as Mr. A. K. Roy says, should be increased Why is it more in America and Russia ? Because it is more mechanised there. But here we cannot mechanise because it will contradict. The poor agriculturist cannot afford to buy a tractor even with the bank's assistance. I congratulate our Prime Minister on having nationalised the banks. That has produced a lot of good effect. Even the land mortgage banks and commercial banks and some other banks are lending liberally to the agriculturists. NABARD has so many branches which have gone into the villages. I will suggest that we should stop lending through primary banks. A Government machinery has to be built for open wells and tube wells. They should employ an army of people with highly sophisticated machines and dig a well and call on a Tehsildar with a record of rice and put an attachment of Rs. 10,000 or Rs. 20,000 or whatever it may be because he

can get water earlier and earliest return will also be there.

That will compensate his economy. Otherwise, it would not be economical, because they give it in instalments, for which instalment certificates are necessary. He has to parade himself before the bank manager and beg of him, if possible. Then only he will get it. It also breeds corruption. On the other hand, if you adopt this procedure, you can have more of open wells and even tube wells, which will give water within 24 hours, there will be generation of employment and production will increase. Therefore, we should adopt that.

Lastly, afforestation is a very important factor. We have forgotten that this is a must both for agriculture and industry. In the olden days, in the villages we used to have oil crushers and other industries. But, after the advent of the industrial revolution, there is a de-linking between the villages and the cities. With the growth of industries, there is no feed back to make the base of agriculture strong. What even support agriculture was getting in the past has been taken away. If the agriculture is not supported by industry, if there is no inter-action by industry on agriculture, it can never thrive. So far as industries are concerned, they are given a lot of concessions, specially for export-oriented industries. But, so far as agriculture is concerned, no help is given. They have to depend on the monsoon and the Agriculture Ministry. That is why the Indian people believe in God. Since in our huge country we have agriclture on such an extensive scale, we should have more research centres to provide assistance to agriculture.

Very little attention is paid to animal husbandry, which will help agriculture. If he gets a better bull, he can make it work better. Similarly, if there are better breeds of milch cattle, he can get more of milk. Further, it is a multi-purpose animal. It can be used for work and for milk. On death its leather is used for various purposes. Unfortunately, we are not making proper use of animal husbandry.

Sericulture is another ancillary which can help the farmers to supplement their income. It can be introduced in a big way. If we do all these things, they will help to boost our production.

I congratulate our farmers for preventing us from going with a begging bowel to foreign countries for food for the last ten years. This shows that we have gone a long way and a lot of funds have been invested for the production of food.

Indigenous manure has to be developed so that we can do away with the import of fertilizer, which is very costly.

With these words, I support the Demands.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की डिमांड्ज का समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयत्न कर के हिन्दुस्तान के कृषि-उत्पादन को बढ़ाया है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल बारिश की वजह से काफी अनाज खराब हो गया था।

इस साल बारिश और ओले पड़ने से काफी फसल खराब हो गई हैं। आपके वैज्ञानिकों को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे किसानों को मौसम के बारे में पूर्व जानकारी मिल सके। फसल के समय में कब बारिश होगी और कितना क्या नुकसान होगा। ऐसी व्यवस्था आपको करवानी चाहिए, ताकि किसानों को फायदा हो सके।

दूसरा निवेदन मैं दाल और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में करना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया है, उसी प्रकार आपको दाल और तिलहन का

उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसमें ज्यादा पैसा रखकर और प्रदर्शन करके और अपने विभाग के अधिकारी लोगों को लेकर, अधिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे लोगों को न्यूट्रीशियस फूड मिल सकेगा।

तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जिन-जिन स्थानों पर बेर-बडिंग प्रोजेक्ट सफल हो सकता है, उन स्थानों को निर्धारित किया जाना चाहिए। भीलवाड़ा के लिए इस प्रोजेक्ट की मांग की गई है, अभी तक भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नहीं दिया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को भीलवाड़ा में देकर इसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। चौथा निवेदन मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संबंध में करना चाहता हूं। उदयपुर, राजस्थान में एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी थी, जिसको कि अब जनरल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि एग्रीकल्चर की एक सैप्रेट युनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर के संबंध में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। पांचवा निवेदन मैं को-आपरेटिव के संबंध में करना चाहता हूं। हमारे यहां को-आपरेटिव के अन्दर स्पीनिंग व वीविंग मिल गुलाबपुर ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहां एक को-आपरेटिव स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल लगी थी, जिसने काफी पैसा कमाया था। लेकिन उसकी दुर्दशा की और मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दो सालों में इस को-आपरेटिव मिल ने जितना घाटा उठाया है, उतना शायद कभी नहीं उठाया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कमी की वजह से लोगों ने उस मिल को चाट लिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवायें और दोषी लोगों को सजा दें तथा ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यह मिल बर्बाद न हो। अगर यह मिल बर्बाद हो गई तो हजारों मजदूर बर्बाद हो जायेंगे। यदि यह मिल चलती रही तो उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को फायदा होता रहेगा।

(व्यवधान)

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की मांग पर चर्चा हो रही है, लेकिन स्पीनिंग मिल्स और लेबर कहाँ से आ गई।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मैं को-आपरेटिव मिल्स की बात कर रहा हूं।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले के तीन स्थानों आसीन्द, गंगापुर और शाहपुरा—इन तीन स्थानों पर को-आपेरेटिव मिल्स दी जायें। ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

एक बात मैं अकाल के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में पांच साल से लगातार अकाल पड़ा रहा है। इससे वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यदि रोजगार मिलता भी हैं, तो सिर्फ एक-दो रुपये की मजदूरी मिलती है, इस ओर भी मरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे विरोधी दल के लोग कहते हैं कि लोग भूख से मर गए, मेरी दृष्टि में वे भूख से नहीं मरे हैं। यह बात सही है कि लोगों को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, काम पूरा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसलिये आपसे निवेदन है आपने राजस्थान को केवल 12 करोड़ रुपया दिया, जब कि बंगाल को 35 करोड़ रुपया दिया, बिहार को भी ज्यादा दिया, दूसरे प्रान्तों को भी ज्यादा दिया, मगर राजस्थान को सबसे

कम दिया । जब कि राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल है । पीने का पानी नहीं है, अनाज नहीं है, सब चीजों की कमी है । मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जाय । आप राजस्थान के लिये 19 हजार टन गेहूं देते हैं— इससे वहां का काम चलने वाला नहीं है । आपको ज्यादा अनाज देना चाहिये, मजदूरी के लिये पूरा पैसा दीजिये । एक बहुत बड़ी दिक्कत राजस्थान में यह आने वाली है कि वहां पीने के पानी की भयंकर कमी है । वहां पर जो हैण्ड पम्पस लगाये गये हैं उनमें 75 प्रतिशत सूखे हैं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : If you have some drinking water, please send that to Madras also.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इन्होंने उस अकाल क्षेत्र में हैण्ड पम्पस लगाने के लिये पैसा दिया है, लेकिन 75 प्रतिशत सूख गये तथा उनके सूख जाने की वजह से पीने के पानी की बहुत कमी हो गई है ।

आपने फलड के लिये 20 करोड़ रूपया दिया है उससे जो पुलिया और सड़कें बनी, थोड़ी सी बारिश में सब खराब हो गई । इस लिये 20 करोड़ रूपये के खर्च में जो गड़बड़ हुई है उसकी जांच कराइये ताकि आपको मालूम हो सके कि वह पैसा कहां गया ।

मैं आपका, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे समय दिया और मैं इस डिमाण्ड का समर्थन करता हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, the Minister will reply.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I want to ask one question only.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have asked the Minister to reply. I am not going to allow anybody now.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Why did you allow him ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Please sit down. I am sorry.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : It seems you are angry with me.

MR. DEPUTY SPEAKER : You are my elder brother. How can I be angry with you ? The Minister may now reply.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : I am thankful to the Hon. Members on both sides of the House for taking very keen interest in the demands of the Ministry of Agriculture. You have also been very kind in allowing them time liberally for full discussion on this subject. The House has been discussing during its sittings for three days the Demands of my Ministry with regard to the Departments of Agriculture and Co-operation. We have come before the House for Demands of Rs. 480 crores for the two Departments of Agriculture and Co-operation and another Demand for the Department of Agriculture, Research and Education of the order of Rs. 118.57 crores. Very useful suggestions have been given by Hon. Members.

Most of my work has been mkade light by my able colleague Shri Maowana who has replied in detail to the peints raised, in respect of the subjects of Forst, Animal Husbandry, Dairy, etc. I will try to deal with the various questions raised by Hon. Members on subjects which have not been touched by him. Most of the criticism from some of the Hon. Members has been on subjects which are not covered by the Demands under the consideration of the House. I wish those Hon. Members had taken some interest while the Demands of the Ministry of Irrigation, Food and Civil Supplies were being discussed.

It will not be possible for me to reply to questions which do not pertain to the Demands that the House has before it.

Sir, before I proceed further, I would like to inform the Hon. Members that the allocation for Agriculture and Co-operation has been quite liberal. In the development plan for the Sixth Five Year Plan, Agriculture has received a very fair share and higher than the allocation in any previous plan period. I would be very happy about Mr. Mayathevar's proposal that 50% of all development expenditure should be on Agriculture.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : That is my ambition.

RAO BIRENDRA SINGH : I hope the Planning Minister who is present here will give due consideration to his very useful suggestion. But I would also expect the Hon. Members to consider the financial constraints under which the Government work. The Demands of all the Departments have to be equitably taken into account and we should be satisfied that whatever has been allocated is far in excess of what we have been getting in the previous year.

In the year 1982-83, the allocation for Agriculture and Co-operation was Rs. 395 crores. But the actual expenditure was even more than that. It was 104% or Rs. 411 crores. In the year before that, i.e. in 1981-82, the allocation was Rs 333 crores and the utilisation was 94.3% That shows the fact that every penny that the Ministry of Agriculture has been getting sanctioned by the House is being fully utilised more or less. This year also, we hope that we shall be able to make full use of this money granted to us by the House after the Demands are voted.

Sir, these three years, since Mrs. Indira Gandhi Government took over in the year 1980, have been a period of good spurt in the agriculture products and we have set some records in agricultural production. I would like to mention that the foodgrains production during this period rose up to 133.1 million tonnes—an all-time record. Wheat production also last year went up to 37.8 million tonnes—the highest production ever in the country. And that was inspite of the bad weather conditions. The Hon. Members would remember the damage to the crops due to very untimely rain last year after the harvest season in May. Also in oil seeds, the production went up over 12 million tonnes. Jute and mesta production also shot up to nearly 84 lakh bales each. Sugarcane has created history. The production rose up to 183 million tonnes or more than that. The sugar production last year was over 84 lakh tonnes. That sets India as the top-most sugar producing country in the world. And this year also, the production trend is very good though I agree we are experiencing some difficulties in the matter of payment of prices to cane-growers at the same level as it was done last time.

We have been trying to sort out the problem. On the price of sugar, as has been explained by Mr. Bhagwat Jha Azad who is looking after the Department of Food and Civil Supplies under which the subject of sugar falls, the Government's thinking on the question was that the price of sugarcane should be fixed at a level so that the factories are enabled to make 100% payment and there are no arrears due from the sugar mills. But State Governments, as has been the practice, in spite of Central Government's advice, fixed prices differently in different States and, that complicated matters. Central Government wanted that 100% bank credit should be given to mills to clear all payments. But it only be possible if all the States had fallen could in line with the Central policy. Now we are trying to see how far the arrears that are accumulating can be cleared. The Ministry of Finance and the Planning Commission and the Ministry of Food are seized of the situation and the opinion of the State Governments has been obtained. The suggestions of Hon. Members have been noted.

I can only assure that the Government is very keen to see that on account of lower prices being paid to farmers, sugar

production in the country does not go down, as it did during the period of the previous Government. We have learnt some lessons and we hope shall continue to take benefit from the experience that the country gained at the cost of the farmer during the Janata regime.

A question has been raised time and again by most of the Hon. Members. They were very vociferous They strongly criticised my statement about the extent of damage on account of this untimely rain. But, those Hon. Members are not to be seen in the House now. Yet, I would like to clarify the matter.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am not one of them

RAO BIRENDRA SINGH : You were not one of them. You are not so bad. I concede you are a responsible Member.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Are they not responsible ?

MR. DEPUTY SPEAKER : He is becoming more friendly to you. I think so.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Am I not friendly to you ?

MR. DEPUTY SPEAKER : But you would be friendly with him !

RAO BIRENDRA SINGH : It is really a matter of anxiety that we are again experiencing bad weather at a time when we expect fair weather in the interests of farmers. Part of the rabi crop has been harvested. In some areas, it has not yet been harvested. There has been heavy rain in some of the States like Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and parts of Uttar Pradesh, not all.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Bihar also.

RAO BIRENDRA SINGH : I am not disputing what you say.

SHRI RAM PYARE PANIKA : So far as devastation in Uttar Pradesh is concerned, it is even greater than in Haryana and Punjab.

RAO BIRENDRA SINGH : Untill we get the full details about the extent of damage, it is not possible for any Minister to quantify the damage that could have accrued on account of bad weather. Therefore, I have stated from the reports so far received, what the present position is. Our officers have assessed the situation not only sitting in Krishi Bhavan but by going opt into the fields surveying the areas.

AN HON. MEMBER : In how many places ?

RAO BIRENDRA SINGH : We are hoping that the extent of damage is not very high. There may be some damage due to loss of colour of the grain on account of harvested crop getting wet for several days. In some fields, water has been standing and the crop has been in contact with water and naturally there will be some loss of the grain also.

PROF. N.G. RANGA : It is only the subsequent rains for four days that had done a greater damage.

RAO BIRENDRA SINGH : But I express the hope, I still hope, that farmer is very industrious, he knows how to retrieve the damage even out of a bad situation, he can turn over his crop, he can look after his interests very well, he is hard-working and industrious and he would not allow his harvested crop after so many months of industry and so much of expenditure to go waste. We are trying to ask the State Governments to send us the details as soon as possible. Till then, we are not in a position to say that the damage has been of a very high order. I still think and I maintain that, God willing, it will not be a substantial damage reducing our total production to a very large extent.

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्या योजना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : किसानों का जो नुकसान हुआ है; उसकी पूर्ति के लिए अभी वही तरीका है । राज्य सरकारें स्पेशल गिरदावरी कराएंगी और देखेंगी कि किसका कितना नुकसान हुआ है । उसके बाद राज्य सरकारों के पास मार्जिन मनी है, जिससे वे एकदम रिलीफ दे सकती हैं । अगर मार्जिन मनी से काम नहीं चलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास असिस्टेंस के लिए मेमोरेंडम आता है । इसलिए यह कदम सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अभी नहीं बनती ।

I was talking about the growth rate that we had achieved. Hon. Members have cricised the Government for not taking effective steps to prevent recurrence of droughts and floods. It remains a fact that about 103 million hectares of our culturable land out of a total of 143 million hectares depends on rains, it is monsoon-fed. It is only about 40 million hectares of land that gets irrigation, proper irrigation, and it might take a long time yet to achieve a high percentage of irrigation in this country on account of various factors which I would not like to go into. Non-availability of good storage sites—lot of our water is flowing into the sea; that is a fact; Hon Members know, they have mentioned it. Then, in spite of expansion in irrigation and creation of a potential, it also might take a little time to provide irrigation at the field level. Command development also takes time. Then again the financial constraints. Irrigation being a State subject, the development plan of the State has to be agreed to by the State and perhaps my friend, Mr. Chavan, cannot do much in this matter. They have got to find the resources.

AN HON. MEMBER : We are lagging behind in irrigation.

RAO BIRENDRA SINGH : I agree; I am myself not very happy; quite a big proportion of the irrigation potential, nearly five million hectares, is still lying unutilised. Five-million hectare potential could have been utilised, but it is not yet utilised : it needs further construction of field channels and development of the command area

What the Agriculture Ministry of this Government has been able to achieve can be very easily judged from the figures that I have given.

There is a high production in various agricultural crops. Apart from that, the damage from drought has also been reduced. And it was not automatically reduced, it is on account of advance planning, hard work put in by the officers of the Agriculture Ministry and the various Departments, the interest taken by the States, their implementation of the guidelines that we have provided, etc. If you compare the drought of 1979-80 with that of last year's drought, that is, the drought of 1982-83, the area affected is larger. Against 43 million hectares in 1979-80, 48 million hectares of land have been affected by drought. The area affected was larger but whereas in 1979-80 the production came down from 131 million tonnes of foodgrains to 109 million tonnes of fooodgrains—a shortfall of 22 million tonnes, this year, that is, in 1982-83, the production we are expecting is still of the order of about 127 million tonnes. There was a shortfall in Kharif production of about 8.5 million tonnes.....

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : It is equal to the figure of 1978-79, or a little more.

RAO BIRENDRA SINGH : You have been shouting drought, but you do not take into account when there was production.

In the last Kharif season there was a shortfall of something over 8 million tonnes. But in Rabi we have been able to make up some of losses. That goes to the credit of the efforts of this Government and, of course, the farmers and our

scientists. They have provided the technology for dry land farming. States have taken interest and in future we hope that the effect of drought and also of floods will not be so badly felt if our schemes continue to be implemented as they have been during the last 3 years.....

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Contradiction.

RAO BIRENDRA SINGH : That is all in your mind.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : While giving help to the peasants, you say that the drought is not so much as the opposition shouts and when you talk about production, you say that in spite of such a massive drought, we could raise the production. This is your contradiction which you do not understand....

RAO BIRENDRA SINGH : No, it has been so in spite of your efforts.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : If you accept that the drought was severe as compared to 1979-80...

RAO BIRENDRA SINGH : Yes.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You should have then said, 'We are giving more relief. But you say only the colour of the grain has changed and the drought is not so severe. That is the contradiction...Sir, you realise the contradiction ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I do not know whether you both have realised.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : But you are the *via media*.

RAO BIRENDRA SINGH : You can follow him better with your wisdom. But it is beyond me. We are taking about drought. Now he has come to damage by rain. Drought to rain—he does not see any difference. I was talking about drought but he is taking about rain now.

MR. DEPUTY SPEAKER : The whole point is that on behalf of his Party he could not speak; therefore he wants a chance here.

RAO BIRENDRA SINGH : Damage by drought I will come to, if you listen patiently.

We have achieved a high growth rate in many of the crops. If you take long-term periods, we have done very well. During the period 1977-80, the average annual production was 122.6 million tonnes. During these three years since this Government took over, the average annual foodgrains production has been 129 million tonnes. That shows that we are steadily increasing our growth in agriculture.

In some of the important crops, if Hon. Members are interested to know, like production of pulses over a long term growth rate during the greenn revolution period—there was talk of green revolution and India having reached a plateau and nothing being further possible—from a negative growth rate of 0.16 per cent during the years 1980-82 pulses production went up by 6.7 per cent. Likewise oil-seeds from a long-term growth rate during that period of green revolution from 1.3 per cent shot up to 29 per cent during 1981-82 as compared to the previous year. Similar is the case of sugarcane of which I have already mentioned. I would not like to go into the details on account of lack of time.

Sir, there has been criticism from some Hon. Members about foodgrains imports. While taking of imports they forget about the adverse weather conditions from which we have been suffering from time to time and it is not only India but even the most advanced countries suffer from such conditions from time to time. Some of my friends there repeatedly talked about another country, the progress made by China, but

do they know that during the last two years China also is reported to have imported 13 million tonnes of foodgrains every year.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, he is a very intelligent Minister. Please ask him to tell the House what is the per capita consumption in China and what is the per capita consumption in India ?

RAO BIRENDRA SINGH : I do not know. You know the population of India and also the total foodgrains production. As such, you can calculate. But if the Hon. Member wants to suggest that people in China eat more than Indians....

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I boldly say so. I challenge and I can fight with you with statistics.

RAO BIRENDRA SINGH : Fight with me outside to prove that China is stronger... (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I can fight with you with statistics.

RAO BIRENDRA SINGH : I thought you wanted to fight me, as their representative, to prove that China is stronger.

MR. DEPUTY SPEAKER : The point is some Hon. Members said that production is more in China than in India. The Minister has said that even China has imported 13 million tonnes.

RAO BIRENDRA SINGH : 13 million tonnes they imported every year during the last two years.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Let us admit the fact that China is in a better position.

RAO BIRENDRA SINGH : During the calendar years from 1978 to 1982, the Hon. Members would probably like to know that India had not only not been a net importer of foodgrains but it had also been a net exporter. The quantity of foodgrains imported by India during these four years was 2.99 million tonnes. (*Interruptions*). Whereas some Hon. Members probably do not know that India exported foodgrains of the order of 3 22 million tonnes. Not that we have only imported foodgrains but we have also exported You are giving a very wrong impression.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : You should not have exported.

RAO BIRENDRA SINGH : We have also exported. Then we h ve taken various measures to increase production. Seed is a very important input and fertiliser is another very important input. About irrigation, I have already talked and the Hon. Minister of Irrigation gave reply to the debate on the Demands for Grants of his Ministry. Quality seeds production has been paid special attention by my Ministry. From 9 lakh quintals in 1978-79, we supplied 42 lakh quintals of quality seeds in the year 1982-83. We have increased its supply from 9 lakh quintals to 42 lakh quintals. That is only about seed. You can very well find out about other things. I am prepared to remove all your doubts provided you are prepared to listen to me.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : For this we congratulate you.

RAO BIRENDRA SINGH : Similarly there is an increase in fertiliser consumption, in spite of the higher prices. The Hon. Members have suggested that the prices of fertiliser should be reduced. Well, we always try to see that fertiliser prices are kept low because we know that difference in fertiliser price makes difference in consumption. It affects consumption. But Government, in spite of the fact that they want to do it, have to work under certain constraints and compulsions. But fertiliser consump-

tion during the last two years has gone up from an average of 31 Kg. per hectare to 35 Kg. per hectare. The growth rate in this is 13% and that was in spite of the higher price that was fixed for fertiliser. The sale points for fertiliser have been increased. You know that fertiliser is sold at the same price all over the country. Again, irrespective of the fact whether the block is situated at the rail-head or far interior in the hills, Government bears the transport cost on that account and the farmers get the fertiliser at a uniform price close to their fields.

Some Hon. Members also talked about agriculture credit. Sir, there has been substantial increase in the credit to farmers and we are aware of the need of the farmers for credit. Mr. A.K. Roy, talked about usurious loans still being the main-stay of the farmers.

I do not think that is correct. Within a year, there has been an increase of 10% in agricultural credit through cooperatives; from 2300 crores it went upto 2550 crores There were Regional Rural Banks, and now NABARD has been set up and it has started working. They are looking after the farmers' needs. 95% of the agricultural credit from cooperatives has been made available to small and marginal farmers.

Many Hon. Members have expressed concern about small and marginal farmers. Small and marginal farmers were earlier included under our Integrated Rural Development programme but with the stress on looking after the poorer families in the villages; the poorest of the poor in each block, it was felt that small and marginal farmers were left out and production of small holdings was suffering on account of lack of subsidies and credit facilities. At the instance of the Prime Minister, as Chairman of the planning Commission, and the Deputy Chairman, Shri Chavan, this was taken up. And I would like to inform the Hon. Members that a new scheme has been drawn up now. It was announced by my friend, the Finance Minister in his budget speech. It is a new scheme, very benficial to the small and marginal farmers, particularly in dryland areas. 125 crores of rupees will be the Central share, and another 125 crores of rupees will come from the States. That will be Rs. 250 crores in the year. It will be Rs. 5 lakhs per block for providing certain facilities to the small and marginal farmers, particularly for providing minor irrigation, for levelling of land, for plugging, for afforestation, for developing of their fodder land and grass land, and in addition, there will be institutional credit. The subsidy will be at the same level as it is in the case of IRD programme upto 50% on the same pattern for wells and pumps. There will be subsidy also for plantation of fruit trees, orchards and for fuel wood plantation. Some Hon. Members also mentioned about that. There will be lumpsum allocation for free distribution of mini-kits of seeds and fertilizers to assist land owners for the development of the land for staff. That is the rough scheme that has been approved by the Government both in the Planning Commission, the Finance Ministry and the Agricultural Ministry. Guidelines will be drawn up by the Agricultural Ministry. In every block there will be Rs. 3.5 lakhs for subsidy for wells and Pumps, Rs. 50,000 for fruit tress and plantation of fuel wood and Rs. 1 lakh in each block for allocation of development assistance for fertilizers and mini-kits of seeds and staff.

That makes Rs. five lakhs. It will be monitored and looked after by the Agricultural Ministry and in the field level in the district, the implementing agency would be DRDS. Hon. Members would be happy that a new scheme has been drawn up at the instance of the Prime Minister. Additional funds have been provided for a new scheme. That shows the concern of the Prime Minister and her Government for the welfare of the small and marginal farmers; the poorer section of our peasants.

SHRI RAMAVATAR SHASHTRI : It is nothing.

राव बीरेन्द्र सिंह : आंख बन्द करके बैठो, कुछ देखो मत, फिर पता कैसे चलेगा ?

श्री रामावतार शास्त्री : पांच लाख बहुत कम हैं राव साहब ।

18.00 hrs.

RAO BIRENDRA SINGH : Another very important matter mentioned by most of the Hon. Members was remunerative prices for the farmers. I also want, as a farmer, that I should get the highest possible price for my produce.

SHRI KRISHNA CHANDR HALDER (Durgapur) : How many Benami lands you have ?

RAO BIRENDRA SINGH : You please come and show me where it is. I don't need any Benami land because I have enough to maintain myself.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please, no personal questions.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : There are many farmers in Punjab and Haryana those have five, ten tractors and have kept Benami land.

RAO BIRENDRA SINGH : Why are you jealous of Haryana and Punjab ? Haryana and Punjab are feeding you.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Not feeding me, say feeding us.

RAO BIRENDRA SINGH : Don't talk about the prosperity in agriculture, if you can't make it; Why are you jealous ?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : There is no Benami land in West Bengal.

RAO BIRENDRA SINGH : These States and their farmers are feeding the country. Do you know that ? Don't be so ungrateful.

MR. DEPUTY SPEAKER : They produce more. Therefore Bengal takes more. It is for us.

RAO BIRENDRA SINGH : And he wants Punjab and Haryana to be like West Bengal and should be always asking for food.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then you would not get wheat.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Sir, there is no Benami land in West Bengal. We produce jute and we earn crores of rupees worth of foreign exchange.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I feel happy and proud if any State produces more.

RAO BIRENDRA SINGH : If you can't achieve, you don't have the right to criticise the progressive farmers in another State. You try and achieve the same prosperity.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : We appreciate that.

RAO BIRENDRA SINGH : You don't appreciate. You are full of jealousy. You are blowing with jealousy.

MR. DEPUTY SPEAKER : They can produce jute. Rao Birendra Singh, you help them. They can produce jute and so many things.

RAO BIRENDRA SINGH : Don't try to tease Haryana farmers, otherwise you will be nowhere.

Sir, I was coming to the question of prices. Sir, the Hon. Members have forgotten where they had left the price of wheat when they went out of Government. The price of wheat at that time was Rs. 115 and after all these last three years we have announced a price of Rs. 151.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is nothing. The cost has also risen up.

RAO BIRENDRA SINGH : It is an increase of 31% in wheat price. The price of rise they were giving at that time was Rs. 95. The Indira Gandhi Governmenthas announced it at Rs. 122—a 28% increase in the price of rice.

श्री सत्यनारायण जटिया : खाद और दूसरी चीजों के दाम कितने बढ़ा दिए ?

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिह : अभी उधर से बताया कि 30 रुपए खाद के बढ़े और 37 रुपए गेहूं के बढ़ा दिए, सुना नहीं आपने ?

It was this Government that revised the terms of reference of the Agricultural Prices Commission. You have forgotten this conveniently. This Government directed the APC to take into account the terms of trade as between the agricultural products and non-agricultural products.

And we are trying to achieve parity in the prices of non-agricultural goods which the farmer needs, and agricultural produce which the farmer produces.

Some Hon. Members drew the Government's attention to gram prices falling. They will be happy to know that the highest raise has been given in gram prices. We have fixed the price of gram at Rs. 235/- from Rs. 145/- a jump of 62%. And if gram is selling lower than the support price, we have directed Government agencies to move into the market for intervention, i.e to start purchasing gram. There were reports that gram was selling at lower than the support prices in parts of Madhya Pradesh and other places. We shall look after them.

Similarly for cotton, we have fixed Rs. 235/-, if you have heard me. Similarly about groundnuts. We know the need is great for increasing production of oil seeds. Groundnut, soyabean, all these have received our attention. The price of grondnut has been raised by 55% in three years. It has been fixed at Rs. 295/- from Rs. 270/- last year, and Rs. 206/- the year before that. The Janata Government had left it at Rs. 190/-. From Rs. 190/-, we have raised it to Rs. 295/-.

श्री सत्यनारायण जटिया : परन्तु तेल के भाव कितने थे ?

राव बीरेन्द्र सिह : आपका परन्तु खत्म नहीं होगा ।

श्री सत्यनारायण जटिया : 6 रुपये किलो था, लेकिन अब 16 रुपये किलो मिल रहा है ।

RAO BIRENDRA SINGH : The same for cotton. (*Interruptions*) They had fixed a price of Rs. 275/- for cotton. Within these last three years, we have raised it to Rs. 380/- for the common variety; and after the announcement of this price, cotton prices have picked up. Government agencies are also purchasing. Cooperatives are playing a very big role in the marketing of commodities like cotton, pulses, oil seeds and even wheat—a very large percentage of wheat. Rice is purchased by our cooperative agencies.

Ceoperatives have been discussed by our Hon. Members. I hope they are satisfied with the working of the Cooperative Department. 93% of the villages in the country have been covered by cooperatives. Our policy is to give processing units, preferably to cooperatives as in the case of sugar mills and vanaspati mills. Most of the fair price shops will be run through cooperatives. Some States have already taken action.

Tribals are receiving adequate attention from the NCDC and other cooperative agencies.

Export is another important subject, because we can only develop agriculture and

the country also generally, only if exports from the country are of a substantial order. After all, we need certain imports-oils, for instance, and fuel, fertilizers and various other things. So, agriculture has been playing its role; and Hon. Members will be happy to know that the increase in the export of agricultural commodities was of the order of 34% in the year 1981-82. In the year 1982-83 also, during the same period, it was 26% higher than the previous year.

There had been a discussion about drought. I would not like to go into details, because there had been discussion time and again, calling attention motions allowed by the Chair. I have already said many times that governments has been very liberal in providing assistance this time for droughts, floods, cyclones and other calamities. Already for drought, we have given assistance of Rs. 436 crores for the year 1982-83. For this current year, sanction of Rs. 109 crores to seven States has already been given. The memoranda of some States are still under consideration and a decision will be taken very soon.

SHRI A NEELALOHITHADASAN NADAR : What about Kerala ?

RAO BIRENDRA SINGH : A team is going on 21st; a team is visiting Kerala and we shall see what we can do.

SHRI RAM PYARE PANIKA : U.P. State is the worst hit State; it has not received anything.

SHRI HARISH RAWAT : Please say something positive about it so that it can, be encouraging,

RAO BIRENDRA SINGH : I do not know how it can be encouraging. Large areas in U.P. were affected by drought According to the memorandum received from the State Government, we got an assessment from the central team. In a discussion with the U.P. Government, the central team reported that U.P. Govenment had not taken in hand any relief work, any programme. Now the system of providing assistance for drought is that the State Government first prepare projects; they start work, relief should be provided to the people, the estimates of the expenditure incurred and to be incurred have to be placed before the Central Govenment; and the U.P. Government said that they had not started any work; they don't want to take any relief work in hand. How could the Central Government provide any relief ?

श्री हरीश रावत : इसका खिमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है ।

SHRI RAM PYARE PANIKA : You see that the people should not suffer. .

MR. DEPUTY SPEAKER : You should approach the State Government. He has said something about it. Why can't you approach the State Government ? What is the use of asking him ?

RAO BIRENDRA SINGH : After all, the assistance from the Central Government is against expenditure incurred by the State Government; it is not just the grant. There must be work for employment generation; there must be projects for relief. Only then the State Government can ask for assistance.

PROF. N.G. RANGA : That is all true what my Hon. friend has said, but, at the same time, the Government of India cannot close its eyes when people go on suffering and are in great misery. Therefor, the Government of India should also take some initiative in order to produce the State Government to go to the rescue of the peasants and the farmers there.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Both of them are right—the U.P. Government is most inefficient and you are indifferent. He is also and Prof. Ranga is also right. You said that U.P. Government is most inefficient. All right. He said, the Central Government is closing its eyes. I accept both.

RAO BIRENDRA SINGH : Prof. Ranga is a very senior member. The year in which drought assistance was required or is now asked for has gone by. The year 1982-83 is over. Now, tell me how to put the clock back and the calendar back to bring back 1982-83 so that the work can be started in the previous year and the grant can be given. Then we shall consider it. (*Interruptions*) You don't understand how it is done. It was in the last year, the year is gone; no work was done. Assistance for what ? There had been relief provided. (*Interruptions*)

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना भेजी है कि उन्होंने पौने-दो अरब रुपये की मांग आपसे की है, जिसके लिये उन्होंने टेलेक्स भी दिया है। आप कहते हैं कि उन्होंने नहीं भेजी है। दोनों में सत्य क्या है, हमें नहीं मालूम हैं। हम चाहेंगे कि उसका पुनः अध्ययन कर लें और जो मदद कर सकते हैं वह करें।

उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित है, इसलिए इस चीज को देखना चाहिये।

MR. DEPUTY SPEAKER : It is all right now. Please sit down. He has already replied. Why do you get up ? It is U.P. Government affair. It is all right. Yes. Order please.

राव बीरेन्द्र सिंह : जो एक्सप्लेन करना था, वह बता दिया है आपको। आप यू०पी० गवर्नमेंट से बात कीजिए, हमारे गले क्यों पड़ते हैं।

श्री हरीश रावत : और कोई तरीका हो सकता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : तरीका यही हो सकता है कि 1982-83 को बुला लीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : 1983-84 में मदद कर दीजिए।

RAO BIRENDRA SINGH : We are concerned about the conditions of drought in some of the States still persisting; there is acute shortage of water in many areas, and I would like to inform the Hon. Member that the Railway Ministry has already decided and issued instructions that drinking water will be transported free of cost wherever it is needed.

SHRI K.T. KOSALRAM (Tiruchendur) : We are thankful to you, but ...(*Interruptions*)

RAO BIRENDRA SINGH : And the Central Government gives subsidy for transportation of water. Plenty of money is available for this purpose.

An Hon. Member, Shri Vyas made a very good point. He said that it appears that the weather cycle is changing. Last year, it was untimely rain, this year too it was again untimely rain. The Prime Minister herself is concerned about it. She has already given a directive that the Meteorology Department, the Agriculture Department and the other Ministries concerned should try and find out as to what would be the weather condition, the weather cycle, in future.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please sit down, Mr. Nadar. You are a very good Parliamentarian. I do not know why you are behaving like this today.

RAO BIRENDRA SINGH : Accordingly, action has already been started by the Ministry on the Prime Minister's directive. We shall see if we can get any help from the metcorology experts.

The Prime Minister has even directed that if necessary experts from outside also may be invited for consultations experts in water, meteorology, etc. and then we should

try and see if it is clear that this cycle will continue. Then we should start thinking of sowing operations to be planned in such a way that crops ripen before this untimely rains start or if they become timely, afterwards so that the farmers do not suffer any loss.

I have covered most of the points. I would not like to take much of your time.

Good attention has been paid to fisheries. The number of deep sea trawlers has increased, during 1982-83 from 68 to 135. There has also been a good increase in the number of deep sea vessels. A new scheme had been announced, recently about providing insurance cover to fishermen. This is already known to Hon. Members. Guidelines have also been given to the States that deep sea trawlers would not be able to fish within the territorial waters, that is, within a distance of 23 kilometres from the coast. That area will be reserved only for the small craft. In trawler technology we have taken steps and our scientists have taken good interest in it. They have given a very encouraging response. More than 3,800 water-sheds have been identified. We shall try to create models for micro-water sheds as Hon. Members have suggested and some villages in clusters will be taken up block-wise and the concerned departments and Ministeries will pay special attention to conservation of mid-stream cultivation, afforestation for levelling of land and for creation of small farms for producing cereals, etc.

Most of the points have been covered. It is very difficult for me to take up individual points raised by all Hon. Members. But generally I have covered the ground. I have noted their suggestions and whatever points I have not been able to reply to, I assure the Hon. Members that those will be considered fully and action will be taken to implement the suggestions wherever possible.

For the information of the Hon. Member from Ladakh, I would like to mention that Ladakh is a far flung area and it needs special attention. It is a cold desert. We are already aware of the needs of Ladakh. There is already an off-season nursery established in Ladakh. ICAR has plan to start a sub-station of the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, at Ladakh. Other facilities like off season nursery may be added to the same centre. ICAR had already sent a team under the leadership of the Deputy Director-General to Ladakh. Possibilities of assisting J & K Government in developing agriculture in Ladakh have already been discussed and explored with J & K Government.

SHRI OSCAR FERNANDES (Udipi) : There has been a consistent demand from the small poor fishermen, who are engaged in mechanised fishing, for grant of subsidy on diesel which is used for mechanised fishing. What is the reaction of the Minister on that ?

RAO BIRENDRA SINGH : For small crafts that subsidy is available. We have even been trying to provide the same subsidy for large trawlers.

SHRI BHOGENDRA JHA : In every State, there are money lending laws and debt cancellation laws. They are being openly flouted by the usurers throughout the country. What steps are being taken to enforce the existing laws ? Is the Government going to introduce separate co-operatives for agricultural labourers and marginal farmers because the cooperatives in general are dominated by the rural rich ?

RAO BIRENDRA SINGH : If we know which section particularly needs to form co-operatives, we shall be glad to give the poorer people amongst them, who are not being attended to co-operative facilities to register their societies.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put all the cut motions moved by the Hon. Members relating to the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture to vote together, unless any Hon Member specifically desires that his cut motion may be put separately.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put the Demands for Grants to vote. The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1984, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 8 relating to the Ministry of Agriculture."

The motion was adopted.

Demands for Grants, 1983-84 in respect of the Ministry of Agriculture voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 18th March, 1983		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
	MINISTRY OF AGRICULTURE				
1.	Department of Agriculture and Co-operation	66,37,000	...	3,31,85,000	...
2.	Agriculture	15,36,74,000	123,55,26,000	76,83,71,000	617,76,31,000
3.	Fisheries	3,15,39,000	67,90,000	15,76,93,000	3,39,47,000
4.	Animal Husbandry and Dairy Development	27,86,99,000	70,17,000	139,34,93,000	3,50,83,000
5.	Forest	6,37,49,000	11,93,000	31,87,44,000	59,67,000
6.	Cooperation	1,63,46,000	36,88,88,000	8,17,29,000	184,44,37,000
7.	Department of Agricultural Research and Education	12,52,000	...	62,62,000	...

1	2	3	4	5	
8.	Payments to Indian Council of Agricultural Research	19,76,22,000	...	98,81,08,000	...

18.26 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, April 20, 1983/ Chaitra 30, 1905 (Saka).